अध्याय-द्वितीय

निष्पादन लेखापरीक्षा

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

मुख्य बिन्दु-

नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम 2000, (भारत सरकार द्वारा तैयार) सितम्बर 2000 से लागू किया गया। इन नियमों के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिये नगरपालिका प्राधिकारी उत्तरदायी होगें। नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियमों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण तथा पृथक्कीकरण, भंडार केन्द्रों या कूड़ेदानों में रखा जाना तथा भूमिभरण स्थल के लिये ढ़ंके हुये वाहनों में परिवहन किया जाना था। इसके प्रकृति के अनुरूप कम्पोस्ट, पुर्नचक्रित या निपटान किया जायेगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा इन नियमों को भारत के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से अपनाया गया। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की निष्पादन लेखा परीक्षा में पाया गया कि अधिकांश नगरीय स्थानीय निकायों में भूमिभरण स्थल हेतु भूमि चिन्हित नहीं किये जाने के कारण इन नियमों का क्रियान्वयन सही रूप से नहीं किया गया। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के विषय में नागरिकों को जानकारी देने के लिये जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन नहीं किया गया, नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्कीकरण नहीं किया गया, पृथक से कर्मचारियों का नियोजन नहीं किया गया, तथा राज्य एवं जिला स्तर पर पर्याप्त निगरानी नहीं की गयी। निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नानुसार है-

- नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु प्रदाय की गयी राशि ₹ 10.23 करोड़ अवरूद्ध रही।

(पैरा 2.1.6.4)

- राशि ₹ 87.77 लाख का व्यय ऐसी मदों पर किया गया जो नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते है।

(पैरा 2.1.6.5)

- नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा राशि ₹ 1.38 करोड़ का व्यय किये बिना कपटपूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये।

(पैरा 2.1.6.6(अ)(ब))

- नगरीय ठोस अपशिष्ट के पृथक्कीकरण के लिये समुदाय की भागीदारी तथा गैर- सरकारी संगठनों को शामिल किये जाने हेतु प्रभावी प्रयास नहीं किये गये।

(पैरा 2.1.7.3)

- नगरीय ठोस अपशिष्ट का घर-घर जाकर संग्रहण करने हेतु लगाये गये उपभोक्ता प्रभार की राशि ₹ 1.28 करोड़ वसूली हेतु लंबित रही।

(पैरा 2.1.7.5)

- भूमिभरण स्थल हेतु भूमि आवंटित किये जाने में असाधारण विलंब किया गया।

(पैरा 2.1.7.9)

- भूमिभरण स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु उचित तकनीकी नहीं अपनाया गया।

(पैरा 2.1.8.1)

- बूचड़खानों से उत्पन्न होने वाले तरल को पूर्व उपचारित किये जाने हेतु व्यवस्था नहीं की गयी।

(पैरा 2.1.10.1(अ))

2.1.1 प्रस्तावना:

मनुष्य की गतिविधियों से अपशिष्ट उत्पन्न होता है तथा जिस रीति से अपशिष्ट को हथालित, भंडारित, संग्रहित तथा निपटान किया जाता है उससे पर्यावरण तथा जन स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो सकता है। ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन मे वे सभी गतिवधियाँ सम्मलित हैं जो ठोस अपशिष्ट के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर प्रभाव को कम कर सके। नगरीय क्षेत्रों मे विशेष रूप से ऐसे शहरों में जहां शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है वहां नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का मुद्दा तथा समस्या तत्कालीक रूप से महत्वपूर्ण है। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व को ध्यान मे रख कर भारत सरकार ने नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2000 को विकसित करने का निर्णय लिया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भारतीय नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन व हथालन) नियम 2000[1] को सितम्बर 2000 में अपनाया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि नगरीय ठोस अपशिष्ट को कूड़ेदान में संग्रहित किया जाना चाहिये तथा छांटा जाना चाहिये तत्पश्चात भूमिभरण स्थल की ओर ढके हुये वाहनों में परिवहन किया जाना चाहिये। नगर पालिका अधिकारियों को ऐसी उपयुक्त तकनीक तथा तकनीकों के समूह को अपनाना चाहिये जिससे अपशिष्ट का उपयोग किया जा सके तथा भूमिभरण स्थल पर भार कम किया जा सके। राज्य में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लागू किये जाने हेतु पृथक से कोई निर्देश जारी नहीं किये गये। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रभारी सचिव को नियमों को लागू किये जाने की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को प्राधिकार प्रदान करने तथा नियमों का पालन सुनिश्चित कराने हेतु प्राधिकृत किया गया।

2.1.2 लेखा परीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखा परीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये की गई थी कि क्याः-

[1] नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन व हथालन) नियम 2000 प्रतिवेदन में आगे नियम की तरह दर्शाया गया

- नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया गया;
- नियमों को लागू किये जाने हेतु निधियाँ एवं संसाधन पर्याप्त थे तथा राशि का उपयोग मितव्ययी, प्रभावी व दक्षतापूर्ण रीति से किया गया;
- अपशिष्ट का संग्रहण, पथक्करण व प्रसंस्करण तथा निपटान योजनाबद्व व वैज्ञानिक रीति से किया गया;
- एक प्रभावी पर्यवेक्षण कार्यविधि स्थापित की गई थी जिससे क्रियान्वयन ऐजेंसियों/नगरीय ठोस अपशिष्ट सृजित करने वालों द्वारा नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

2.1.3 लेखापरीक्षा मानदंड

निष्पादन लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्त्रोतों से प्राप्त किये गये-

- भारतीय नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम 2000;
- भारत सरकार नगरीय विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली;
- नियमों को लागू किये जाने हेतु राज्य शासन तथा संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेश/परिपत्र;
- म0प्र0 कोषालय संहिता तथा म0प्र0 वित्तीय संहिता;
- वार्षिक प्रतिवेदन व बजट दस्तावेज;
- तेरहवें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों में अनुदानों को जारी एवं उपयोग किये जाने के संबंध में उल्लेखित "सर्विस लेवल बेन्चमार्क"।

2.1.4 लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं पद्वति

वर्ष 2007-12 की अवधि हेतु निष्पादन लेखा परीक्षा माह जून से दिसम्बर 2012 में सम्पादित की गई। निष्पादन लेखा परीक्षा हेतु 360 नगरीय स्थानीय निकायों[2] में से 33 नगरीय स्थानीय निकायों[3] का चयन प्रोबेबिलिटि-प्रपोसनल टू साईज सेंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट पद्वति के आधार पर किया गया (**परिशिष्ट 2.1**)। निष्पादन लेखा परीक्षा के दौरान आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, 33 चयनित नगरीय स्थानीय निकायों तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अभिलेखों की नमूना जांच की गई। प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एंव विकास विभाग के साथ निष्पादन लेखा परीक्षा हेतु प्रवेश सम्मेलन दिनांक 9 अगस्त 2012 को आयोजित किया गया एवं निर्गम सम्मेलन 25 अप्रैल 2013 को आयोजित किया गया जिसमें लेखा परीक्षा परिणामों पर चर्चा की गई।

[2] चौदह नगर पालिक निगम, 100 नगरपालिकायें तथा 246 नगर परिषद
[3] चार नगर पालिक निगम, 16 नगरपालिकायें तथा 13 नगर परिषद

लेखा परीक्षा निष्कर्ष

2.1.5 योजना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के अध्याय 26 के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये एक नगर आयोजना बनायी जानी थी जिसमें अपशिष्ट के एकत्रीकरण, परिवहन, प्रसंस्करण तथा निपटान के साथ उपकरणों को उन्नत करने, परिवर्तित करने तथा अपशिष्ट प्रबंधन हेतु समुचित स्थान को शामिल किया जाना था। प्राथमिकताओं के निर्धारण एवं संसाधनों के निर्बाध उपयोग तथा निर्धारित समय सीमा में उदेश्यों की पूर्ति हेतु दिशा निर्देश जारी किया जाना था।

हमने 33 नगरीय स्थानीय निकायों में से 25 नगरीय स्थानीय निकायों में पाया कि 10 नगरीय निकायों[4] द्वारा किसी प्रकार की योजना, निष्पादन लेखा परीक्षा किये जाने तक (जून-दिसम्बर 2012) तैयार नहीं की गयी। यद्यपि 15 नगरीय स्थानीय निकायों[5] द्वारा वर्ष 2001 से 2011 के मध्य योजना तैयार की गयी, किन्तु किसी भी नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा योजना के अनुरूप नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को लागू नहीं किया गया, जिसका उल्लेख रिपोर्ट में आगे किया गया है। आठ नगरीय स्थानीय निकायों[6] के संदर्भ में योजना तैयार किये जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं थी।

अनुपयुक्त योजना तैयार किये जाने से राज्य में नियमों का संगत रूप मे पालन नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन में (अप्रैल् 2013), शासन द्वारा उत्तर दिया गया कि शहरी विकास योजना तैयार की गई है, जिसमें प्रत्येक शहर के लिये ठोस अवशिष्ट प्रबंधन का एक पृथक अध्याय शामिल किया गया है।

शासन का उत्तर लेखा परीक्षा परिणाम के अनुरूप नहीं है।

अनुशंसाः-	शासन को नगरीय ठोस अपशिष्ट को कम तथा पुर्नचक्रित करने के उद्देश्य को ध्यान मे रखते हुये योजना तैयार करनी चाहिये।

2.1.6 वित्तीय व्यवस्थाऐं

2.1.6.1 वित्तीय प्रक्रियायें

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के पैरा 3.1(XIV) के अनुसार प्रत्येक राज्य को नगरीय स्थानीय निकायों हेतु उपलब्ध कराये गये अनुदान की कम से कम 50 प्रतिशत राशि निजी एवं सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु चिन्हित की जानी चाहिये । राज्य शासन द्वारा 12वें वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2005-10 की अवधि में प्राप्त की गयी राशि नियमों को लागू किये जाने हेतु नगरीय स्थानीय निकायों को जारी की गयी। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नगर पालिक निगम इंदौर

[4] अलीराजपुर, ब्यौहारी, भोपाल, बुढ़ार, बुधनी, खजुराहो, लौड़ी, मक्सी, नौरोजाबाद तथा सीहोर

[5] भिण्ड, छतरपुर, चित्रकूट, इन्दौर, मंडीदीप, मोहगांव, नागौद, नेपानगर, सतना, शहडोल, शुजालपुर, सोहागपुर, सिवनीमालवा, उमरिया तथा विदिशा

[6] चांदामेटा, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इटारसी, कोलार, नसरूल्लागंज, परासिया तथा राधोगढ़

को भारत सरकार से जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत राज्य शासन के अंश के साथ राशि प्राप्त हुई।

13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के पैरा 10.160 के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली चार[7] अनिवार्य सेवाओं के क्षेत्र में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी (अगस्त 2010) 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रदान की गयी राशि से किये जाने कार्यों में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को प्राथमिकता क्रम में द्वितीय स्थान पर रखा है, यद्यपि 13 वें वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2010-11 से 2011-12 की अवधि में कोई राशि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु चिन्हित नहीं की गई थी (मार्च 2013)।

2.1.6.2 निधियों का आवंटन

12वें वित्त आयोग अंतर्गत वर्ष 2005-10 की अवधि में राज्य को प्राप्त राशि ₹ 361 करोड़ में से राशि ₹ 180.50 करोड़ नगरीय स्थानीय निकायों को नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन लागू किये जाने हेतु चिन्हित की गई। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन अंतर्गत अर्बन इन्फ्रास्ट्रेक्चर गर्वनेंस में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु इंदौर नगर पालिक निगम को वर्ष 2007-12 की अवधि में राशि ₹ 24 करोड़ प्रदान की गयी। नगरीय स्थानीय निकायों को जारी की गयी राशि का विवरण तालिका- 1 में दर्शाया गया है:

तालिका-1 वित्तीय प्रबंधन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बारहवॉ वित्त आयोग	नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु चिन्हित की गई राशि (टी.एफ सी ग्रांट का 50 प्रतिशत)	जे एन एन यू आर एम			कुल योग
			केन्द्रीय अंश	राज्य अंश	योग	
1	2	3	4	5	6	7
पूर्वशेष	144.40	72.20	0.00	-	-	72.20
2007-08	72.20	36.10	5.41	2.16	7.57	43.67
2008-09	72.20	36.10	0.00	0.00	0.00	36.10
2009-10	72.20	36.10	10.81	4.32	15.13	51.23
2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	1.30
	361.00	**180.50**	**16.22**	**7.78**	**24.00**	**204.50**

स्त्रोत- नगरीय प्रषासन एवं विकास विभाग भोपाल

टीप-1. 12वें वित्त आयोग अंतर्गत 2006-07 से 2009-10 के दौरान राशि प्राप्त हुई। वर्ष 2010-11 एंव 2011-12 में कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई। वर्ष 2011-12 में जेएनएनयूआरएम अंतर्गत राज्य अंश राशि ₹ 1.30 करोड़ उपलब्ध कराई गई।

2. 13 वें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त राशि मे नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कोई भी राशि पृथक से चिन्हित नहीं की गई।

[7] जलापूर्ति, सिवरेज, वर्षा जल निकासी तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

2.1.6.3 मासिक सामाधान का कार्य नहीं किया जाना

मध्य प्रदेश नगरपालिका लेखा नियमावली (जुलाई 2007) के अध्याय 2 के पैरा 1.11.3 तथा मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा नियम 1971 के नियम 97 व 98 के अनुसार प्रत्येक माह के अंत में रोकड़ बही के शेष का मिलान बैंक खातों के शेष से किया जाना चाहिये तथा यदि कोई अंतर पाया जाता है तो एक समाशोधन विवरण तैयार कर मिलान किया जाना चाहिये।

हमने पाया कि, चयनित नगरीय स्थानीय निकायों में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये प्रदाय की गयी राशि या तो चालू बैंक खातों में (12 नगरीय स्थानीय निकायों) या बचत बैंक खातों में (21 नगरीय स्थानीय निकायों) रखी गयी, जिसमें में 27 नगरीय स्थानीय निकायों[8] द्वारा बैंक समाधान पत्रक तैयार नही किये गये। शेष चार नगरीय स्थानीय निकायों[9] द्वारा बैंक खातों के शेषों का मिलान किया गया। जबकि दो नगरीय स्थानीय निकायों में (नगर पालिक निगम ग्वालियर व नगर पालिक निगम इंदौर) बैंक समाधान की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। जिन नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा बैंक समाधान पत्रक तैयार नहीं किया गया था, बैंक जमा पर अर्जित ब्याज की राशि तथा उसके उपयोग को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2013), के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि लेखाओं में सुधार की कार्यवाही प्रचलन में है तथा सुधारात्मक कार्यवाही की जाने के लिये आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगें।

2.1.6.4 नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के असंगत क्रियान्वयन से राशि अवरूद्ध रहना

(अ) नियमों के अनुसूची-। के प्रावधानों के अनुसार नगर पालिका के अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं निपटान संबंधी सुविधायें समय पर स्थापित की जाये तथा उनकी निगरानी के साथ वर्तमान में उपलब्ध भूमिभरण स्थल को विकसित किया जाये तथा भविष्य की आवश्यकताओं हेतु भूमिभरण स्थल की पहचान की जाये एवं उसको संचालन हेतु तैयार रखा जाये। 12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के पैरा 3.1(XIV) में यह उल्लेख किया गया था कि नगर पालिकाओं द्वारा ठोस अपशिष्ट के एकत्रीकरण, पृथ्क्कीकरण और परिवहन पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिये। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल द्वारा (सितम्बर 2006) में यह निर्देश जारी किये गये कि 12वें वित्त आयोग अंतर्गत जारी की गयी राशि का उपयोग भूमिभरण स्थल के विकास एवं अपशिष्ट के संग्रहण हेतु छोटे वाहनों का क्रय, कम्पोस्टिग तथा ऊर्जा उत्पादन इकाई हेतु मशीनरी स्थापित करने पर किया जायेगा।

हमने पाया कि, नमूना जांच की गयी 33 इकाईयों मे से 25 नगरीय स्थानीय निकायों को 12 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के माध्यम

---

[8] अलीराजपुर, भिण्ड, व्यौहरी, बुधनी, बुढ़ार, चांदामेटा, छिन्दवाड़ा, चित्रकूट,इटारसी, खजुराहो, कोलार, मोहगांव, मक्सी, मंडीदीप, नागौद, नसरूल्लागंज, नौरोजाबाद, नेपानगर, परासिया, राधोगढ़, सतना, शहडोल, सीहोर, सिवनीमालवा, शुजालपुर, सोहागपुर तथा उमरिया

[9] भोपाल, छतरपुर, लौड़ी तथा विदिशा

से वर्ष 2006-10 में राशि ₹ 18.72 करोड़[10] प्राप्त हुई **(परिशिष्ट 2.2)** जिसमें से मात्र राशि ₹ 8.49 करोड़ उपरोक्त उल्लेखित कार्यों पर माह नवम्बर 2012 तक व्यय की गयी। इस प्रकार ₹ 10.23 करोड़ (55 प्रतिशत) अव्ययित रहा जिसका विवरण तालिका-2 में दर्शाया गया है:

तालिका: 2 जारी तथा व्यय राशि का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से प्राप्त राशि	शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सूचित व्यय	बैंक जमा के रूप में अवरूद्ध राशि
पूर्व वर्षों का शेष (2006-07)	निरंक	600.89	131.67	469.22
2007-08	469.22	367.82	100.07	736.97
2008-09	736.97	487.77	169.02	1055.72
2009-10	1055.72	370.37	130.48	1295.61
2010-11	1295.61	15.89*	112.39	1199.11
2011-12	1199.11	28.72*	205.24	1022.59
योग	**4756.63**	**1871.46**	**848.87**	

*वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में 13वें वित्त आयोग मद में प्राप्त राशि व्यय की गयी।

स्त्रोत- नमूना जांच किये गये नगरीय स्थानीय निकाय।

यद्यपि, आठ नगरीय स्थानीय निकायों[11] में कोई राशि अवरूद्ध नहीं पायी गयी। पूर्व वर्ष की अव्ययित राशि को प्रारंभिक शेष के रूप में दर्शाया गया ।

(ब) यह भी देखा गया कि छः नगरीय स्थानीय निकायों[12] द्वारा राशि ₹ 3.53 करोड़, बैंक मे सावधि जमा के रूप में रखी गयी। मुख्य नगर पालिका अधिकारियों द्वारा राशि को अवरूद्ध रखने का कारण यह बताया गया (अगस्त-नवंबर 2012) कि भूमिभरण स्थल के लिये भूमि उपलब्ध न होने/अधिग्रहण न होने के कारण राशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), शासन ने लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि की तथा उत्तर दिया कि सावधि जमा पर अर्जित ब्याज को नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यय करने के निर्देश जारी किये जायेंगें।

2.1.6.5 निधियों का व्यपवर्तन

12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के पैरा 3.1(XIV) के अनुसार 50 प्रतिशत राशि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु चिन्हित की जानी थी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल द्वारा (अक्टूबर 2006) निर्देश जारी किये गये कि नगरीय ठोस अपशिष्ट

---

[10] वास्तविक आवंटन ₹ 1871.46 लाख

[11] भोपाल, व्यौहारी, ग्वालियर, इन्दौर, कोलार, खजुराहो, सतना तथा शुजालपुर

[12] भिण्ड ₹2.00 करोड़, मंडीदीप ₹ 0.62 करोड़, नागौद ₹ 0.25 करोड़, सिवनीमालवा ₹ 0.20 करोड़, परासिया ₹ 0.04 करोड़ तथा विदिशा ₹ 0.42 करोड़

प्रबंधन हेतु चिन्हित राशि भूमिभरण स्थल के विकास, वाहनों के क्रय, कन्टेनर, कूड़ादान तथा अन्य उपकरण जो इस प्रयोजन हेतु आवश्यक हो पर व्यय किया जाना चाहिये।

पाँच नगरीय स्थानीय निकायों[13] के लेजर, रोकड़ बही, प्रमाणकों तथा बैंक स्टेटमेंट/ पासबुक आदि की जांच में हमने पाया कि राशि ₹ 87.77 लाख का व्यय **(परिशिष्ट 2.3)** उपरोक्त् वर्णित प्रावधानों के कार्यों पर नहीं किया गया। यद्यपि अन्य 28 नगरीय स्थानीय निकायों में राशि का व्यपवर्तन किया जाना नहीं पाया गया।

इंगित किये जाने पर आयुक्त तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों ने उत्तर दिया कि प्रावधानित मदों के अलावा अन्य मदों पर तत्काल आवश्यकता होने पर ड्रेनेज, विद्युत तथा जल आपूर्ति के कार्यों पर व्यय किया गया।

उत्तर नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), शासन ने उत्तर दिया कि व्यपवर्तित राशि की वसूली किये जाने के निर्देश जारी किये जायेंगे।

2.1.6.6 काल्पनिक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना

(अ) नियमों के अनुसूची-II के पैरा 2 के प्रावधानों के अनुसार नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिये नगरपालिका के अधिकारियों को जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना चाहिये जिसमें अपशिष्ट के पृथक्कीकरण तथा उसे पुर्नचक्रित करने तथा पृथक की गयी सामग्री को पुनः उपयोग किये जाने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिये।

नगर पालिक निगम इंदौर के अभिलेख की नमूना जांच में हमने पाया कि जे एन एन यू आर एम अंतर्गत वर्ष 2007-12 के दौरान नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि ₹ 24 करोड़ में से परिषद के अनुमोदन के अनुसार उपर्युक्त कार्यों पर ₹ 50 लाख के व्यय का अनुमान था तथा जागरूकता कार्यक्रम पर बिना कोई व्यय किये राशि ₹ 50 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को प्रेषित किया गया।

यह तथ्य आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की जानकारी में लाया गया (30 अक्टूबर 2012)। आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा (31 अक्टूबर 2012) को उत्तर दिया गया कि तथ्यों को सुनिश्चित करने के लिये इंदौर नगर पालिक निगम को पत्र जारी किया गया है (नवंबर 2012)। माह जून 2013 में आयुक्त नगर पालिका निगम इंदौर ने उत्तर दिया कि मानवीय भूल के कारण यह त्रुटि हुई।

(ब) नगर पालिक निगम इंदौर के अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि, इंदौर की जनसंख्या के आधार पर तिपहिया वाहनों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया तथा 2243 कंटेनर युक्त तिपहिया वाहनों का क्रय आदेश आयुक्त इन्दौर नगर पालिक निगम द्वारा लागत राशि ₹ 2.56 करोड़ का आदेश मैसर्स तिरूपति सायकल रिक्शा, नागपुर को फरवरी 2009 में दिया गया। उक्त् फर्म द्वारा 900 सायकिल रिक्शा प्रदाय किये गये तथा इस हेतु राशि ₹ 1.03 करोड़ का भुगतान किया गया। प्रदाय किये गये तिपहिया वाहनों की गुणवत्ता के संबंध मे शिकायत प्राप्त होने पर प्रदाय आदेश को

---

[13] छिन्दवाड़ा (2 कार्य) ₹ 4.59 लाख, ग्वालियर (6 कार्य) ₹40.51 लाख, नौरोजाबाद (01 कार्य) ₹ 2.98 लाख, परासिया (14कार्य)₹ 11.71 लाख तथा सीहोर (08 कार्य) ₹ 27.98 लाख।

निरस्त कर दिया गया। किन्तु आयुक्त नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को राशि ₹ 1.90 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया गया। इस प्रकार राशि ₹ 87.86 लाख अधिक का उपयोगिता प्रमाण पत्र संचालनालय को जारी किया गया।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), शासन ने उत्तर दिया कि नगर पालिक निगम इंदौर से जानकारी मांगी गयी है तथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

2.1.7 नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का क्रियान्वयन

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का संबंध अपशिष्ट के सृजन, भंडारण, एकत्रीकरण, स्थानांतरण, परिवहन, प्रसंस्करण तथा अपशिष्ट का निपटान के उस तरीके से है जो लोक स्वास्थ्य, आर्थिक, यांत्रिकी, संरक्षण, सौंदर्यीकरण तथा अन्य पर्यावरणीय स्थितियों के अनुरूप स्थापित सबसे उपयुक्त सिद्वांतों से है।

2.1.7.1 नियमों का अपर्याप्त क्रियान्वन किया जाना

नियम 8.1 के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रतिवर्ष एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा तथा उसे 15 सितम्बर तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित करेगा। वार्षिक प्रतिवेदन मे प्रतिदिन उत्सर्जित कुल ठोस अपशिष्ट की मात्रा एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, भूमिभरण स्थल का क्षेत्र, भूमिभरण स्थल को विकसित करने की स्थिति तथा अंतिम रूप से निपटान किये गये अपशिष्ट का विवरण शामिल किया जायेगा।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अभिलेखों की नमूना जांच एवं उपलब्ध कराई गयी जानकारी के आधार पर राज्य में नियमों के क्रियान्वयन की स्थिति तालिका 3 मे निम्नानुसार दर्शाई गई हैः-

तालिकाः 3 नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन की स्थिति

स. क्र.	मानदंड	कुल नगरीय निकायों की संख्या	नगर पालिक प्राधिकारियों की संख्या					
			मानदंड लागू किया जाना		आंशिक रूप से लागू किया जाना		मानदंड का पालन नहीं किया जाना	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	नगरीय ठोस अपशिष्ट का एकत्रीकरण	360	04	1.11	285	79	71	20
2	नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्कीकरण	''	04	1.11	23	6.39	333	92
3	नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण	''	02	0.56	237	66	121	34
4	नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन	''	06	1.67	300	83	54	15
5	नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण	''	01	0.28	03	0.83	356	99
6	नगरीय ठोस अपशिष्ट का निपटान	''	01	0.28	142	39	216	60

स्त्रोत- मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 0.28 से 1.67 प्रतिशत नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा विभिन्न मानदंडों को लागू किया गया। 0.83 से 83 प्रतिशत नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा आंशिक रूप से मानदंड लागू किये गये । 15 से 99 प्रतिशत नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा उपरोक्त नियमों के मानदंडों का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2013), में शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया कि भूमि आवंटित नहीं किये जाने के कारण अधिकांश नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा नियमों को लागू नहीं किया जा सका।

शासन द्वारा मई 1996 में दिये गये नगरीय स्थानीय निकायों को भूमि आवंटन संबंधी निर्देश के विपरीत होने से उत्तर औचित्यपूर्ण नहीं है।

2.1.7.2 नगरीय स्थानीय निकायों को प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाना एवं नवीनीकरण नहीं किया जाना।

नियमों के पैरा 6.2 तथा 6.4 के अनुसार अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान संयत्र को स्थापित करने के लिये (जिसमें भूमिभरण भी शामिल है) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नगरीय स्थानीय निकायों को प्राधिकृत किया जाना आवश्यक है जो कि एक निश्चित समयावधि के लिये वैध होगा तथ वैधता अवधि की समाप्ति पर पुनः प्राधिकृत किया जाना आवश्यक होगा।

(i) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों (नवंबर 2012) में यह पाया गया कि 298 नगरीय स्थानीय निकायों को (360 में से) वर्ष 2004 में एक वर्ष के लिये अस्थाई प्राधिकार प्रमाण पत्र जारी किये गये। शेष 62 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा प्राधिकार प्राप्त नहीं किये गये। यह भी देखा गया कि नगर पालिक निगम ग्वालियर तथा इंदौर को छोड़कर किसी भी नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकार का नवीनीकरण नहीं कराया गया जिससे उन नगरीय स्थानीय निकायों मे अपशिष्ट का एकत्रीकरण, परिवहन तथा अपशिष्ट का यहाँ वहाँ खाली स्थानों पर ढेर लगा रहा तथा अपश्षिट का प्रसंस्करण और निपटान नहीं किया गया।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा उत्तर दिया गया कि (नवंबर 2012) अपूर्ण आवेदनों, भूमि को चिन्हित नहीं किये जाने तथा प्राधिकार हेतु आवेदन न किये जाने के कारण इन्हें नवीनीकृत नहीं किया जा सका ।

(ii) 33 नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 20 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अस्थाई प्राधिकार प्राप्त किये गये किन्तु नगर पालिक निगम ग्वालियर तथा नगर पालिक निगम इंदौर के अलावा किसी भी निकाय द्वारा नवीनीकरण नहीं कराया गया। शेष 13 नगरीय स्थानीय निकायों में से नौ नगरीय स्थानीय निकायों[14] ने प्राधिकार हेतुं आवेदन नहीं किया। तीन नगरीय स्थानीय निकायों[15] ने प्राधिकार हेतु आवेदन किये जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं थी तथा एक नगरीय स्थानीय निकाय[16] द्वारा प्राधिकार हेतु आवेदन किया गया किन्तु प्राधिकार प्राप्त नहीं हुआ।

इंगित किये जाने पर (जून 2012, अक्टूबर 2012 अथवा नवंबर 2012) आयुक्त्/मुख्य नगर पालिका अधिकारियों ने उत्तर दिया (जूलाई 2012, नवंबर 2012 तथा दिसंबर 2012) कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण प्राधिकार नवीनीकृत नहीं किये जा सके।

उत्तर तथ्यों के अनुरूप नहीं हैं, क्योकि 20 नगरीय स्थानीय निकायों में से 5 नगरीय स्थानीय निकायों के पास भूमिभरण स्थल उपलब्ध था।

---

[14] ब्यौहारी, भिण्ड, भोपाल, इटारसी, कोलार, नौरोजाबाद, सीहोर, शुजालपुर तथा विदिशा

[15] नेपानगर, परासिया तथा राधोगढ़

[16] खजुराहो

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), शासन ने लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया कि भूमि शीघ्र आवंटित किये जाने के प्रयास किये जायेगें।

2.1.7.3 जन जागरूकता अभियान का क्रियान्वयन नहीं किया जाना

नियमों की अनुसूची-II के पैरा 2 के अनुसार नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिये स्थानीय निकायों द्वारा अपशिष्ट के पृथक्करण और पुर्नचक्रण कर पृथक की गई सामग्री के पुनः उपयोग हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिये। नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अपशिष्ट के पृथक्करण में समुदाय की भागीगारी सुनिश्चित की जानी चाहिये। इसके लिये नगरीय स्थानीय निकायों को स्थानीय कल्याणकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा गैर शासकीय संस्थाओं के साथ नियमित रूप से त्रैमासिक बैठक की जानी चाहिये।

33 चयनित नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेख की नमूना जांच में पाया गया कि 24 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा वर्ष 2006-12 में कोई भी जन जागरूकता अभियान संचालित नहीं किया गया **(परिशिष्ट 2.4)**। नौ नगरीय स्थानीय निकायों[17] द्वारा अगस्त 2009 से जनवरी 2012 के मध्य पर्चे प्रकाशित कर तथा समाचार पत्रों में अपील जारी कर जन जागरूकता अभियान किये गये। दो नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा (नगरपालिका खजुराहों तथा विदिशा) सेमीनार/वर्कशॉप वर्ष 2011 में आयोजित किये गये किन्तु किसी भी नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा वर्ष 2006-12 में आवधिक बैठकें आयोजित नहीं की गई जिससे स्पष्ट है कि नियमों के प्रावधानों के अनुरूप जागरूकता अभियान संचालित नहीं किये गये।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), शासन ने उत्तर दिया कि 12वें वित्त आयोग अंतर्गत चिन्हित निधि उपलब्ध न होने के कारण जन जागरण अभियान संचालित नहीं किये गये तथापि जागरूकता अभियान आयोजित किये जाने हेतु आदेश जारी किये जायेगें।

अनुकरणीय प्रयासः इंदौर नगर पालिक निगम द्वारा ए टू जेड कंपनी के साथ नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के आधार पर एक अनुबंध किया गया और नगरीय ठोस अपशिष्ट के पृथक्कीकरण हेतु नियमित जन-जागरूकता अभियान चलाया गया।

अनुशंसाः नगरीय स्थानीय निकायों को रहवासी कल्याण संगठनों, गैर शासकीय संस्थाओं तथा स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जाने चाहिये।

2.1.7.4 नगरीय ठोस अपशिष्ट का स्त्रोत से अव्यवस्थित एकत्रीकरण

अनुसूची-II के नियम 1(I) के अनुसार पूर्व सूचित समय पर नियमित रूप से घर-घर जा कर उत्सर्जित नगरीय ठोस अपशिष्ट संग्रहित किया जाना चाहिये।

33 चयनित नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 14 नगरीय स्थानीय निकायों[18] में घर-घर जा कर नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण

[17] भोपाल, छतरपुर, ग्वालियर, इन्दौर, खजुराहो, नसरूल्लागंज, शहडोल, सोहागपुर तथा विदिशा

[18] व्यौहारी, भिण्ड, बुढ़ार, छतरपुर, इन्दौर, कोलार, मक्सी, नौरोजाबाद, नेपानगर, परासिया, राधोगढ़, सीहोर, सिवनीमालवा तथा उमरिया

नहीं किया गया। पॉच नगरीय स्थानीय निकायों[19] में घर-घर जाकर नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण किया गया जो 9 से 33 प्रतिशत था, छः नगरीय स्थानी निकायों[20] में संग्रहण का प्रतिशत 47 से 67 प्रतिशत तक रहा, तथा शेष छः नगरीय स्थानीय निकायों[21] में संग्रहण का प्रतिशत 78 से 94 रहा, जबकि नियमों को लागू किये जाने के पश्चात 10 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। जिस कारण से कूड़ा-कचरा खुले स्थानों पर सड़क किनारे तथा प्राथमिक संग्रहण केन्द्रों पर कूड़ेदान के पास बिखरा हुआ था जैसा कि फोटोग्राफ में देखा जा सकता है-

फोटोग्राफ- खुले स्थान तथा सड़क किनारे फैला हुआ कूड़ा-कचरा

यद्यपि दो नगरीय स्थानीय निकायों, नसरूल्लागंज तथा विदिशा द्वारा घर-घर जाकर शत प्रतिशत नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण किया जा रहा है।

कूड़ेदान के पास फैले हुये कचरे के संबंध में कारणों को स्पष्ट करने के लिये (मार्च 2013) में लिखा गया। आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारियों द्वारा (मार्च 2013) में उत्तर दिया गया कि, तत्समय की जनसंख्या के मान से कूड़ेदान स्थापित किये गये थे जनसंख्या की वृद्वि के कारण स्थापित कूड़ेदान छोटे पड़ने लगे जिससे कचरा आस-पास फैला हुआ है। परिषद से प्रस्ताव पारित होने के पश्चात कूड़ेदान बदले जायेगें।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), शासन ने उत्तर दिया कि घर-घर जाकर समूह स्तर से आदर्श स्थिति तक कचरा संग्रहण के सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं।

अनुकरणीय प्रयासः नगर पालिका नसरूल्लागंज तथा विदिशा द्वारा घर-घर जाकर शत प्रतिशत नगरीय ठोस अपशिष्ट संग्रहण कार्य किया जा रहा है।

---

19 बुधनी, (13प्रतिशत), इटारसी (9 प्रतिशत), लौड़ी (27 प्रतिशत), नागौद (33 प्रतिशत) तथा शुजालपुर (23 प्रतिशत)

20 अलीराजपुर (67प्रतिशत), भोपाल (39 प्रतिशत), चित्रकूट (60 प्रतिशत), ग्वालियर (35 प्रतिशत), खजुराहो (47 प्रतिशत) तथा मोहगांव (67 प्रतिशत)

21 छिन्दवाडा (82 प्रतिशत), चांदमेटा (80 प्रतिशत), मंडीदीप (78 प्रतिशत), सतना (78 प्रतिशत), शहडोल (94 प्रतिशत), सोहागपुर (87 प्रतिशत)

अनुशंसाः स्व सहायता समूह को बढ़ावा देकर एक समयबद्व कार्यक्रम अनुसार घर-घर जाकर कचड़ा संग्रहण का कार्य किया जाना चाहिये तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन कड़ाई से ढके हुये वाहनों में किया जाना चाहिये।

1.7.5 उपभोक्ता प्रभार वसूल नहीं किया जाना राशि ₹ 1.28 करोड़

अनूसूची 2 के पैरा 1 (I) के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण किसी एक रीति से किया जाना था यथा- सामुदायिक कूड़ेदान (केन्द्रीय डिब्बा) घर-घर जाकर संग्रहण, नियमित पूर्व सूचित समय पर संग्रहण और ध्वनि युक्त वाहनों की घंटी बजाकर। 12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के पैरा 4.1(IV) के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण पर उपभोक्त प्रभार लगाया जाना आवश्यक है।

33 नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि, नगर पालिक निगम भोपाल (₹ 30/- प्रतिमाह प्रति आवास तथा ₹ 60 प्रति दुकान/ गैर शासकीय कार्यालय) एवं नगर पालिका, शहडोल (₹300 प्रति आवास तथा ₹1500/- प्रति दुकान/गैर शासकीय कार्यालय) को छोड़कर किसी अन्य नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा उपभोक्ता प्रभार अधिरोपित नहीं किया गया है। यद्यपि, नगर पालिक निगम इंदौर (व्यावसायिक संगठनों से जनित होने वाले कूड़ा कचरा की मात्रा के अनुसार ₹1000/- से 30000/- प्रतिमाह तक अधिरोपित किया जा रहा था। आवासीय घरों पर उपभोक्ता प्रभार अधिरोपित नहीं किये गये थे) द्वारा अप्रैल 2007 से उपभोक्ता प्रभार वसूल किया जा रहा था। नगर पालिका शहडोल द्वारा गैर शासकीय संगठन के माध्यम से ठेके के आधार पर उपभोक्ता प्रभार की वसूली की जा रही थी। आगे यह देखा गया कि नगर पालिक निगम भोपाल तथा नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा निर्धारित दर से उपभोक्ता प्रभार की वसूली नहीं की गयी थी परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.28 करोड़ उपभोक्ता प्रभार की वसूली शेष थी जैसा कि तालिका 4 में दर्शाया गया हैः

तालिका-4 उपभोक्ता प्रभार की शेष वसूली का विवरण

(₹ करोड में)

इकाई का नाम	अवधि जिसके लिये उपभोक्ता प्रभार वसूल किये जाना है	उपभोक्ता प्रभार की मांग	वसूल की गयी राशि (मांग का प्रतिशत)	वसूली हेतु शेष राशि (मांग की तुलना मे प्रतिशत)
नगर पालिक निगम भोपाल	2011-12	1.35	0.60(44)	0.75 (56)
नगर पालिक निगम इंदौर	2007-12	2.31	1.79(77)	0.53 (23)
	योग	**3.66**	**2.39 (65)**	**1.28 (35)**

स्त्रोत- नमूना जांच किये गये नगरीय स्थानीय निकाय

इस विषय में इंगित किये जाने पर (जुलाई 2012, सितम्बर 2012) मुख्य नगर पालिका अधिकारियों ने उत्तर दिया कि (जुलाई 2012, सितम्बर 2012 और मार्च 2013), परिषद की सहमति प्राप्त न होने के कारण उपभोक्ता प्रभार अधिरोपित तथा वसूल नहीं किये जा सके। यद्यपि आयुक्त, नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा उत्तर दिया गया कि (सितम्बर 2012), कर्मचारियों की कमी के कारण वसूली में कठिनाई आ रही है। वर्ष 2007 के पूर्व घर-घर जाकर कचरा-संग्रहण हेतु उपभोक्ता प्रभार अधिरोपित नहीं किये गये। उपभोक्ता प्रभार केवल वर्ष 2007 से अधिरोपित किये गये थे।

उपभोक्ता प्रभार अधिरोपित नहीं किये जाने के लिये नगर पालिका अधिकारियों से कारण स्पष्ट करने हेतु कहा गया था (मार्च 2013)। नगर पालिका अधिकारियों द्वारा उत्तर दिया गया कि (मार्च 2013), नागरिकों में जागरूकता की कमी के कारण वसूली लंबित है।

निर्गम सम्मलेन (अप्रैल 2013) में शासन ने उत्तर दिया कि नगर पालिक निगम भोपाल तथा नगर पालिक निगम इंदौर को लंबित उपभोक्ता प्रभार वसूल किये जाने के निर्देश जारी किये जायेंगे।

2.1.7.6 नगरीय ठोस अपशिष्ट संग्रहण हेतु अस्वास्थ्यकर प्राथमिक केन्द्र (डिब्बा)

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों के अनुसूची 2 के पैरा 3 के अनुसार नगरपालिका प्राधिकारी, संग्रहण सुविधाओं की स्थापना और उनका अनुरक्षण ऐसी रीति से करेगा जिससे वे इसके आस-पास अस्वास्थ्यकर/अस्वच्छकारी परिस्थितियां पैदा न करे। भंडारण सुविधा की डिजाइन ऐसा होना चाहिये जिससे की एकत्रित किया गया कूड़ा, खुले वातावरण में न फैले और सौन्दर्यपरक रूप से स्वीकार्य एवं प्रयोक्ता के स्वीकार्य हो।

चयनित नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 5492 प्राथमिक संग्रहण केन्द्रों/कूड़ेदानों में से 1924 (35 प्रतिशत) कूड़ेदान नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा खुले सूचित किये गये। खुले कूड़ेदानों की स्थिति तालिका 5 में दर्शायी गयी हैः

तालिकाः 5 कूड़ेदानों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

स.क्र.	स्थानीय निकाय का नाम	कुल संग्रहण केन्द्रों/कूड़ेदानों की संख्या	खुले कूड़ेदानों की संख्या (कुल कड़ेदानों की संख्या की तुलना में प्रतिशत)
1	04 नगर पालिक निगम	4302	1279 (30)
2	29 नगर पालिकायें	1190	645 (54)
	योग	**5492**	**1924(35)**

स्त्रोत - नमूना जांच किये गये नगरीय स्थानीय निकाय

खुले कूड़ेदानों का उपयोग नियमों के विपरीत है परिणामस्वरूप कूड़ा-कचरा कूड़ेदान के चारों तरफ फैला रहता है जिससे अस्वास्थकर/अस्वच्छकारी परिस्थितियाँ पैदा होती है जैसा कि नीचे फोटोग्राफ में दर्शाया गया है-

फोटोग्राफ- कूड़ेदान के चारों ओर फैला हुआ कचरा

कूड़ेदान के आस-पास फैला हुआ कचरा भोपाल

कूड़ेदान के आस-पास फैला हुआ कचरा ग्वालियर

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2013) में शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया कि खुले कूड़ेदानों को बंद कूड़ेदानों से बदलने के निर्देश जारी किये जायेंगे।

2.1.7.7 नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण नहीं किया जाना

अनुसूची 2 के पैरा 3(iii) के अनुसार अपशिष्ट का पृथक्करण अलग-अलग रंग के कूड़ेदान में किया जायेगा जैसे जैव-निम्नीकरण अपशिष्ट के लिये हरे और पुनः चक्रण योग्य अपशिष्ट तथा अन्य अपशिष्टों के लिये कूड़ेदान क्रमशः सफेद एवं काले पेंट किये जायेंगे।

सभी चयनित नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच तथा भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि किसी भी चयनित निकाय में अपशिष्ट का पृथक्करण अलग-अलग रंग के कूड़ेदान में नहीं किया जा रहा है।

इंगित किये जाने पर (मार्च 2013) में आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारियों ने (मार्च 2013) में आपत्ति को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया कि लोगों में जागरूकता की कमी के कारण नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण वर्तमान में अलग-अलग कूड़ेदान में नहीं किया जा रहा है।

निर्गम सम्मेलन में (अप्रैल 2013), शासन ने आपत्ति को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया कि तीन नगरीय स्थानीय निकायों सैलाना, बदनावर और गौतमपुर द्वारा पृथक-पृथक अपशिष्ट का संग्रहण प्रारंभ कर दिया गया है तथा शेष नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा इस संबंध में ईमानदार प्रयास किये जा रहे है किन्तु उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये।

2.1.7.8 नगरीय ठोस अपशिष्ट का अव्यवस्थित परिवहन

नियमों के अनुसूची-।। के पैरा 4 के अनुसार अपशिष्टों का परिवहन ढ़के हुये वाहनों से किया जायेगा। अपशिष्ट लोगों को न तो दिखाई दे और न ही खुले वातावरण में बिखरे। परिवहन वाहनों को इस प्रकार डिजाइन किया जाना चाहिये कि अपशिष्ट के अंतिम निपटान के पूर्व हथालन की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

(i) हमने 33 नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच तथा वाहनों के भौतिक सत्यापन में पाया कि 18 नगरीय स्थानीय निकायों[22] द्वारा शत प्रतिशत नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन खुले वाहनों से किया जा रहा था तथा 15 नगरीय स्थानीय निकायों में 666 वाहनों में से 211 वाहन (32 प्रतिशत) खुले पाये गये। अतः नगरीय स्थानीय निकाय, वाहनों से कचरा सड़क पर फैलने तथा विस्तृत क्षेत्र में दुर्गंध फैलने से रोकने में असमर्थ रहे, जैसा कि फोटोग्राफ में दर्शाया गया है:-

छायाचित्रः नगरीय ठोस अपशिष्ट के परिवहन में खुले वाहनों का उपयोग

नगरीय ठोस अपशिष्ट का बिना ढ़के हुये वाहनों में परिवहन , इंदौर

नगरीय ठोस अपशिष्ट का बिना ढ़के हुये वाहनों में भूमि भरण स्थल हेतु परिवहन, ग्वालियर

(ii) चयनित नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों तथा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों की नमूना जांच में यह भी पाया गया कि प्रतिदिन कुल अनुमानित उत्सर्जित नगरीय ठोस अपशिष्ट की मात्रा 2458.13 मी. टन के विरूद्ध मात्र 1986.89 मी.टन (81 प्रतिशत) कचरे का परिवहन किया जा रहा था। इस प्रकार प्रतिदन 471.24 मी.टन (19 प्रतिशत) नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन नहीं किया गया जिससे वातावरण प्रदूषित हुआ तथा मानव जीवन जोखिम पूर्ण रहा।

इंगित किये जाने (जून-नवंबर 2012) तथा खुले वाहनों के उपयोग का कारण स्पष्ट करने हेतु कहे जाने पर, अधिकांश आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारियों द्वारा उत्तर दिया गया (जून-नवंबर 2012) कि परिषद् का अनुमोदन (मार्च 2013) तथा कर्मचारियों एवं उपकरणों के लिये शासन से स्वीकृति प्रतीक्षित है। अतः उत्सर्जित होने वाले नगरीय ठोस अपशिष्ट का पूर्ण रूप से परिवहन नहीं किया जा सका तथा खुले वाहनों को परिषद का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत परिवर्तित किया जा सकेगा।

निर्गम सम्म्लेन के दौरान (अप्रैल 2013), विभाग द्वारा लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि की गयी तथा उत्तर दिया गया कि सुधारात्मक कदम उठाये जाने हेतु निर्देश जारी किये जायेंगे।

[22] व्यौहारी, बुढ़ार, बुधनी, चांदामेटा, छिन्दवाड़ा, चित्रकूट, इटारसी, कोलार, लौंड़ी, मक्सी, नागौद, नौरोजाबाद, नेपानगर, परासिया, सतना, सिवनीमालवा, सोहागपुर तथा शुजालपुर

2.1.7.9(अ) भूमि भरण स्थल के आवंटन में असाधारण विलंब

नियमों की अनुसूची III के पैरा 11-17 के अनुसार वर्तमान भूमिभरण स्थल के चारों ओर कांटेदार तार की बाढ़/झाडियाँ लगाकर पूर्णतः सुरक्षित किया जायेगा। भूमिभरण स्थल पर वाहनों तथा अन्य मशीनरी के सुगम आवागमन के लिये पहुँच मार्ग तथा अन्य आंतरिक मार्ग, अपशिष्ट की मात्रा का वजन करने के लिये तुला (वे-ब्रिज), आश्रय, प्रकाश तथा पीने के पानी आदि की व्यवस्था की जानी चाहिये।

संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा भूमि का चयन किया जाना था तथा परिषद का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत भूमि की आवश्यकता का प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट को, भूमि के आवंटन हेतु प्रस्तुत किया जाना था।

हमने चयनित 33 नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया कि 15 नगरीय स्थानीय निकायों[23] में भूमिभरण स्थल के लिये आवश्यक भूमि आवंटित की गयी तथा उसका आधिपत्य दिया गया। एक नगरीय स्थानीय निकाय[24] के पास स्वयं की भूमि थी किन्तु नगर पालिक निगम ग्वालियर तथा नगर पालिक निगम इंदौर को छोड़कर शेष किसी भी नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा नियमों के प्रावधानों के अनुरूप आवंटित भूमिभरण स्थल विकसित नहीं किया जा सका। अन्य 15 नगरीय स्थानीय निकायों [25] द्वारा भूमि का आधिपत्य प्राप्त नहीं किया जा सका तथा दो नगरीय स्थानीय निकायों[26] में अतिक्रमण के कारण भूमि आधिपत्य का प्रकरण (नवंबर 2012) न्यायालय में विचाराधीन था।

इस प्रकार 10 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी नियम उचित रूप से लागू नहीं किये जा सके। भूमिभरण स्थल को विकसित किये जाने की स्थिति जैसा कि उपरोक्त नियमों में उल्लेखित है, निम्न तालिका में दर्शायी गयी है-

तालिका-6 वर्तमान भूमिभरण स्थलों को विकसित नहीं किये जाने की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

विकास की स्थिति	वर्तमान भूमिभरण स्थल को विकसित नहीं किये जाने की स्थिति					
	बाड़	सड़क	प्रकाश	पानी	वजन करने की सुविधा	आश्रय
विकसित	4	8	2	3	2	4
अविकसित	11	7	13	12	13	11

स्त्रोत- नमूना जांच किये गये नगरीय स्थानीय निकाय

यह भी पाया गया कि अस्थाई भूमिभरण स्थल पर पृथक्कीकरण तथा उपचारित किये बिना अपशिष्ट को यहां वहां डाला गया। निम्न फोटो मे अपशिष्ट का भूमिभरण स्थल में डालना दर्शाया गया है:-

---

23 अलीराजपुर, व्यौहारी, भिण्ड, भोपाल, बुधनी, छतरपुर, छिन्वाड़ा, चित्रकूट, ग्वालियर, इंदौर, खजुराहो, मोहगांव, नागौद, सिवनीमालवा और शुजालपुर

24 सीहोर

25 बुढ़ार, चांदामेटा, इटारसी, कोलार, लौडी, मक्सी, मंडीदीप, नसरूल्लागंज, नेपानगर, परासिया, राधोगढ़, सतना, शहडोल, सोहागपुर, तथा उमरिया

26 नौरोजाबाद तथा विदिशा

भूमिभरण स्थल में खुले स्थानों पर फैले कूड़े कचरे की स्थिति दर्शाने वाले छायाचित्र

भोपाल के भूमिभरण स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट का एकत्रीकरण

सिवनीमालवा भूमिभरण स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट का एकत्रीकरण

अस्थायी भूमिभरण स्थल पर अपशिष्ट डाले जाने का कारण आयुक्त्/मुख्य नगर पालिका अधिकारियों द्वारा भूमि का उपलब्ध न होना बतलाया गया (जून-नवंबर 2012)।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), विभाग ने उत्तर दिया कि भूमि आवंटन शीघ्र किये जाने हेतु प्रयास किये जायेंगे।

शासन का उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति के अनुरूप नहीं था क्योकि, 15 नगरीय स्थानीय निकायों को भूमि भरण स्थल हेतु भूमि आवंटित की जा चुकी है किन्तु उसे भूमिभरण स्थल के रूप मे विकसित नहीं किया जा सका है (मार्च 2013)।

(ब) नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा भूमिभरण स्थल को विकसित नहीं किया जाना

नगर पालिक निगम भोपाल को भूमिभरण स्थल के लिये भूमि आवंटन संबंधी अभिलेख की नमूना जांच में पाया गया कि भोपाल नगर पालिक निगम को (वर्ष 2004 से पूर्व) 140 एकड़ भूमि, भूमिभरण स्थल हेतु झिरन्या ग्राम मे आवंटित की गयी किन्तु भूमि पर झाड़ियाँ एवं जंगल होने के कारण भूमि का उपयोग नगरीय ठोस अपशिष्ट के निपटान हेतु नहीं किया जा सका। फरवरी 2007 में नगर पालिक निगम भोपाल को एक नये स्थान, आदमपुर छावनी में स्थल आवंटित किया गया किन्तु इस स्थल को भूमिभरण स्थल के रूप में जुलाई 2012 तक विकसित नहीं किया जा सका।

इंगित किये जाने पर (जून-नवंबर 2012) आयुक्त, ने उत्तर दिया (जून-नवंबर 2012) कि पुराना स्थल जो भूमिभरण स्थल हेतु आवंटित किया गया था, शहर से दूर होने तथा जंगल क्षेत्र होने के कारण विकसित नहीं किया जा सका। जबकि आदमपुर छावनी पर आवंटित भूमि को अतिक्रमण के कारण भूमिभरण स्थल के रूप मे विकसित नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), शासन ने उत्तर दिया कि आयुक्त नगर पालिक निगम भोपाल को भूमिभरण स्थल को शीध्र विकसित करने हेतु निर्देश जारी किये जायेंगें।

2.1.8 नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण

नगरीय ठोस अपशिष्ट एक मूल्यवान स्त्रोत है जिससे प्रसंस्करण की विभिन्न तकनीक का प्रयोग कर लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

2.1.8.1 प्रसंस्करण तकनीक नहीं अपनाया जाना

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों की अनूसूची II के पैरा 5 के अनुसार नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा अपशिष्टों को उपयोगी बनाने के लिये, समुचित तकनीक अथवा ऐसी विविध तकनीकों को अपनाया जायेगा जिससे भूमिभरण पर भार कम किया जा सके।

चयनित नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 33 नगरीय स्थानीय निकायों मे से 31 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अपशिष्ट का प्रसंस्करण नहीं किये जाने के परिणास्वरूप अपशिष्ट के भूमिभरण स्थल पर एकत्रित होने से वायु तथा जल दूषित होने की संभावना थी। मुख्य नगर पालिका अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गयी कि (जुलाई 2012 से नवंबर 2012), स्थायी रूप से भूमि आवंटित न किये जाने के कारण प्रसंस्करण सुविधाओं को नहीं अपनाया जा सका।

भूमि आधिपत्य में होने के कारण 16 मुख्य नगर पालिका अधिकारियों का उत्तर त्रुटिपूर्ण था।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), शासन ने आपत्ति को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया कि निर्देश जारी किये जायेगे।

अनुकरणीय प्रयासः- तालिका 7 में दर्शाये विवरण अनुसार दो नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा प्रसंस्करण सुविधाओं को अपनाया गया है।

तालिकाः7 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अपनायी गयी प्रसंस्करण तकनीक का विवरण

नगरीय स्थानीय निकाय का नाम	अपनायी गयी तकनीक	प्रक्रिया कब से प्रारंभ है	निर्मित सामग्री का नाम	निर्मित सामग्री का उपयोग
ग्वालियर	कम्पोस्टिक तथा पुर्नचक्रीकरण	वर्ष 2008 से	खाद, आर.डी.एफ*	खाद के रूप में
इंदौर	कम्पोस्टिक तथा पुर्नचक्रीकरण	जनवरी 2012	खाद, आर.डी एफ और कार्बन क्रेडिट*	खाद तथा ईंधन के रूप में

*आर डी एफ एक प्रकार का ईधन है जो औद्योगिक चिमनियों मे प्रयोग किया जाता है।

*कार्बन क्रेडिट (कुल कार्बन क्रेडिट का 50 प्रतिशत) जो अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन हेतु प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है।

2.1.8.2 कंपनी से राशि ₹ 11.83 लाख वसूल न किया जाना

नगर पालिक निगम इंदौर (नियोक्ता) द्वारा स्वनिर्माण, संचालन और हस्तान्तरण पद्वति (बी ओ ओ टी) पर प्रतिदिन 500 मी. टन की प्रसंस्करण क्षमता वाले प्रसंस्करण संयत्र स्थापित करने हेतु ए टू जेड कम्पनी (ऑपरेटर) के साथ एक अनुबंध (सितम्बर 2010) किया गया। उपरोक्त अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रत्येक माह के अंत में स्थल पर प्राप्त होने वाले अपशिष्ट के लिये ₹21/- प्रति मिट्रिक टन के मान से कंपनी द्वारा नियोक्ता को भुगतान किया जाना था।

प्रसंस्करण यूनिट के अभिलेख की नमूना जांच में पाया गया कि कंपनी द्वारा जनवरी 2012 से नियमित रूप से अपशिष्ट का प्रसंस्करण प्रारंभ किया गया तथा जनवरी से जुलाई 2012 के दौरान कुल 56312 मि.टन अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया गया किन्तु कंपनी द्वारा किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया परिणामस्वरूप राशि ₹11.83 लाख का भुगतान कंपनी पर लंबित था।

फोटोग्राफ- भूमिभरण स्थल इंदौर पर बड़ी मात्रा मे एकत्रित अपशिष्ट

भूमिभरण स्थल इंदौर में नगर ठोस अपशिष्ट का एकत्रीकरण

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), शासन ने उत्तर दिया कि प्रकरण की जांच की जावेगी तथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

2.1.8.3 लीज रेंट की राशि ₹ 60705/- की वसूली नहीं की जाना

नगर पालिक निगम इंदौर तथा ए टू जेड कंपनी के मध्य किये गये अनुबंध (सितम्बर 2010) की शर्त क्रमांक (ii) के अनुसार नियोक्ता द्वारा कंपनी को प्रसंस्करण संयत्र एवं कार्यशाला स्थापित करने हेतु 15 एकड़ (60705 वर्ग मीटर) भूमि ₹1/- प्रति वर्गमीटर की दर से प्रतिवर्ष अग्रिम लीज रेंट पर 20 वर्षों हेतु उपलब्ध करायी जानी थी।

नगर पालिक निगम इंदौर के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि कंपनी द्वारा वर्ष 2011-12 में देय लीज रेंट की राशि ₹ 60705 जमा नहीं की गयी।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), शासन ने उत्तर दिया कि प्रकरण की जांच की जायेगी तथा समुचित कार्यवाही की जायेगी।

2.1.9 भूमिभरण स्थल के चारों ओर बफरजोन घोषित नहीं किया जाना।

नियमों की अनुसूची III के पैरा 9 के अनुसार भूमिभरण स्थल के चारों ओर एक बफरजोन बनाये रखा जायेगा और इसे नगर आयोजना विभाग की भूमि उपयोग योजनाओं में शामिल किया जावेगा।

नमूना जांच की गयी 33 नगरीय स्थानीय निकायो में से 16 नगरीय स्थानीय निकायों के पास भूमिभरण स्थल हेतु भूमि उपलब्ध थी किन्तु निकायों द्वारा नगर आयोजना विभाग की भूमि उपयोग योजनाओं में बफरजोन को शामिल करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। शेष 17 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा भूमि आवंटित न होने के कारण इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

इंगित किये जाने पर (जून 2012 से दिसम्बर 2012), अधिकांश आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारियों द्वारा उत्तर दिया गया कि बफरजोन की धोषणा नहीं की गयी थी।

यद्यपि आयुक्त नगर पालिक निगम ग्वालियर द्वारा उत्तर दिया गया (नवंबर 2013) कि टाउन एंव कंट्री प्लानिंग विभाग को (दिसम्बर 2012) बफरजोन धोषित करने हेतु पत्र लिखा गया है और आगामी कार्यवाही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा की जानी है जो प्रतीक्षित थी। नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा उत्तर नहीं दिया गया (सितम्बर 2012)।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2013) में शासन ने उत्तर दिया कि समुचित कार्यवाही की जायेगी।

अनुकरणीय कार्यः प्लास्टिक ठोस अपशिष्ट का निपटान

प्लास्टिक, सेल्यूलोज से उत्पन्न एक कार्बनिक सामग्री है जिसे गर्म कर किसी भी आकार मे ठंडा कर ढ़ाला जा सकता है। यह जैव विनष्टीकारक न होने से वातावरण में लम्बे समय तक बनी रहती है। यह कई खराब प्रभाव डालती है जैसे बिखरी प्लास्टिक शहर के नालियों को अवरूद्ध करती है, कई बार गायें एवं अन्य जानवर खाद्य पदार्थों के साथ मिली हुई प्लास्टिक अपशिष्ट को खा लेते है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मौत हो जाती है। अपशिष्ट प्लास्टिक, भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम करती है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा धूर्णीय सीमेन्ट चिमनियों की पहचान की जिनमें अ-चक्री योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट को अन्य जलने योग्य ईंधन के साथ मिलाकरण सहायक ईंधन के रूप मे प्रयोग कर अंतिम निपटान किया गया और इसका कोई खराब परिणाम नहीं पाया गया।

नगर पालिक निगम भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान (जून 2012), में पाया गया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नगर पालिक निगम भोपाल के सहयोग से प्लास्टिक अपशिष्ट के समुचित निपटान हेतु पहल की गई। नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा सार्थक, गैर शासकीय संस्था एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से पांच वार्डों में प्लास्टिक ठोस अपशिष्ट के निपटान हेतु एक पृथक पायलेट परियोजना प्रांरभ की गई। नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा गैर शासकीय संस्था को 25000 वर्ग फीट जमीन बेलिंग इकाई प्लास्टिक ठोस अपशिष्ट को कम्प्रेश कर बंडल बनाने वाली मशीन स्थापित किये जाने हेतु जून 2011 मे उपल्ब्ध कराई गई थी। माह सितम्बर से दिसम्बर 2011 के मध्य कुल उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक ठोस अपशिष्ट में से सात से आठ मेट्रिक टन प्लास्टिक ठोस अपशिष्ट को पांच संग्रहण केन्द्रों के 125 कचरा चुनने वालों के माध्यम से एकत्रित किया जाकर उसे दबाया जा कर सीमेन्ट उद्योग में सह- ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने हेतु भेजा गया।

2.1.10 पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रबंध-

नगरीय ठोस अपशिष्ट को, भूमि पर रिसाव रोकने की व्यवस्था किये बिना, एकत्रित किये जाने से अनेक समस्याऐं जैसे रिसाव से भूमिजल का दूषित होना, सतही जल का दूषित होना, गैस, धास-फूस, धूल, दुर्गध के द्वारा वायु प्रदूषण तथा अन्य समस्याऐं जो कीड़े मकोड़े, पालतू जानवर, अग्नि, खतरनाक पक्षियों, तरल खाद्य पदार्थ तथा क्षरण इत्यादि से उत्पन्न होती है।

2.1.10.1(अ) बूचड़खानों से उत्पन्न होने वाले तरल का निपटान नहीं किया जाना

ठोस अपशिष्ट नियमावली के अध्याय-5 के पैरा 5.5.1 के अनुसार बूचड़खानों से उत्पन्न होने वाला अपशिष्ट जल अत्यधिक प्रदूषित होता है अतः इसे बिना उपचारित किये नगरीय नालियों में मिलाने की अनुमती नहीं दी जानी चाहिये।

चयनित नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि पांच नगरीय निकायों[27] में बूचड़खाने थे किन्तु इन बूचड़खानों से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट-जल के उपचार हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। बूचड़खानों में उत्पन्न होने वाले तरल अपशिष्ट नगरीय नालियों मे मिलाया जा रहा था जो उक्त् नियम के प्रावधानों के विपरीत था। 26 नगरीय स्थानीय निकायों में मांस/मछली बाजार में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट के निपटान हेतु कोई पृथक व्ववस्था नहीं की गयी थी। जबकि दो (कोलार तथा मंडीदीप) नगरीय स्थानीय निकायों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2012 से अक्टूबर 2012), संबंधित आयुक्त् नगर पालिक निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारियों ने उत्तर (सितम्बर 2012 से अक्टूबर 2012) दिया कि तरल अपशिष्ट के निपटान हेतु दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया अपनाई जायेगी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से, नगर पालिक निगम द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में तरल अपशिष्ट के निपटान के प्रावधानों का पालन नहीं करने के विषय में की गई कार्यवाही के लिये (नवम्बर 2012), पूछा गया। सदस्य सचिव , राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा (अप्रैल 2013) में उत्तर दिया गया कि क्षेत्रीय अधिकारियों को जल अधिनियम 1974 की धारा 41 तथा 44 के तहत नगर पालिक निगमों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखा गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उप निदेशक, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जनवरी 2013 मे पत्र लिखा गया।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), में शासन ने उत्तर दिया कि बूचड़खानों के उन्नयन हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है जिसमें बूचड़खानों में उत्पन्न होने वाले तरल अपशिष्ट का उपचार किया जाना शामिल है।

(ब) जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के उपयोग के तरीकों को नहीं अपनाया जाना

अनूसूची III के पैरा 1 (iii) के प्रावधानों के अनुसार बूचड़खानों, मांस और मछली बाजारों, तथा फल एवं सब्जी बाजारों के अपशिष्ट का जो जैव निम्नीकरण प्रकृति की

---

[27] नगर पालिक निगम भोपाल, नगर पालिक निगम ग्वालियर, नगर पालिक निगम इन्दौर, नगर पालिका भिण्ड तथा बुढ़ार

है, इसमें कागज, पुट्ठा, खाद्य अपशिष्ट, कपड़ा और लकड़ी शामिल होती है। ऐसे अपशिष्टों को उपयोग में लाने हेतु प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

सभी चयनित नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि किसी भी नगरीय स्थानीय निकाय में जैव निम्नीकरण अपशिष्ट को उपयोगी बनाने हेतु किसी भी प्रकार की सुविधा जैसे कम्पोस्टिंग, वर्मी- कंपोस्टिंग एवं हाइड्रोपलपिंग[28] उपलब्ध नहीं थी।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), शासन ने लेखा परीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया कि निर्देश जारी किये जायेगे।

2.1.10.2 भूमि भरण स्थल पर वायु तथा जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रावधानों की पूर्ति नहीं की जाना

भूमिभरण स्थल से संबंधित नियमों की अनुसूची III के पैरा 19-20 में वर्णित विशिष्टियों के अनुसार अपशिष्ट को तत्काल अथवा प्रत्येक कार्य दिवस के अंत में न्यूनतम 10 से.मी. मिट्टी से ढ़का जायेगा, और मानसून ऋतु आरंभ होने से पूर्व भूमिभरण स्थल की अच्छी तरह घुटाई तथा ग्रेडिंग करके 40-65 से.मी. मोटाई वाले मिट्टी के अन्तर्वर्ती आवरण से ढ़का जायेगा ताकि पानी के रिसाव को रोका जा सके।

नियमों के अनुसूची III के पैरा 22 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार लीचेट[29] की उत्पत्ति को कम से कम करने के लिये वर्षा जल निकास को आधुनिक तथा सतही जल के प्रदूषण को रोकने और साथ ही साथ दलदली स्थितियों से बचने के लिये अभेद्य लाइनिंग व्यवस्था तथा लीचेट कलेक्शन सिस्टम[30] बनाया जाना चाहिये।

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों की अनूसूची III के पैरा 23 के अनुसार किसी भी भूमिभरण स्थल को स्थापित करने से पूर्व क्षेत्र में भूमिगत जल गुणवत्ता के आधार आंकड़े एकत्र किये जायेंगे और उन्हें भविष्य में संदर्भ के लिये अभिलेख में रखा जाएगा। भूमिभरण स्थल के 50 मीटर की परिधि में भूमिगत जल गुणवत्ता की आवधिक मानीटरिंग की जानी चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भूमिगत जल स्वीकार्य सीमा से अधिक दूषित न हो। यह मानीटरिंग वर्ष के अलग-अलग ऋतुओं जैसे ग्रीष्म,वर्षा तथा वर्षा के बाद की अवधि में की जानी चाहिये। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह भी सूचित किया (अप्रैल 2013) कि नगरीय निकाय जो पर्यावरण (बचाव) अधिनियम 1986 तथा उसके अधीन जारी निर्देशों का पालन करने मे विफल रहते है उनके विरूद्व अधिनियम की धारा 5 तथा 15 के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

चयनित नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि किसी भी निकाय द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट को मिट्टी से नहीं ढ़का गया तथा लीचेट कलेक्शन प्रणाली विकसित नहीं की गयी एवं वायु प्रदूषण तथा भूमिगत जल के प्रदूषण को नियमित करने के लिये आवधिक निगरानी सुनिश्चित नहीं की गयी। नगरीय ठोस

---

[28] नगरीय ठोस अपशिष्ट में पेपर फायबर प्राप्त किये जाने की एक विधि

[29] लीचेट- एक प्रकार का तरल है जो भूमिभरण स्थल पर रिसता है भूमिभरण स्थल की अवधि के अनुसार यह भिन्न हो सकता है

[30] लीचेट कलेक्शन सिस्टम एक पाइपों की प्रणाली है जिससे लीचेट को भंडारण तथा प्रसंस्करण स्थल तक पहुंचाया जा सके

अपशिष्ट, नगरीय क्षेत्र में यहां-वहां एकत्रित किया गया था जिससे मानव जीवन को जोखिम उत्पन्न हो रहा था।

भूमिभरण स्थल की गंभीर परिस्थितियों को दर्शाने वाले छायाचित्र नीचे दिये गये है:

छायाचित्र-भूमिभरण स्थल पर गंभीर परिस्थितियाँ

भूमिभरण स्थल सीहोर पर अपशिष्ट का ढ़ेर

भूमिभरण स्थल विदिशा पर अपशिष्ट का ढ़ेर

इंगित किये जाने पर आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारियों द्वारा तथ्य को स्वीकार किया गया। ऐसे नगरीय स्थानीय निकाय जिन्होनें अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया, उनके विरूद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में सदस्य सचिव राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा (अप्रैल 2013) में उत्तर दिया गया कि नगरीय निकायों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये क्षेत्रीय कार्यालय जिम्मेदार है। यद्यपि ऐसी नगरीय निकायों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013) में शासन ने आपत्ति को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया कि निर्देश जारी किये जायेगे।

2.1.11 जनशक्ति प्रबंधन

राज्य नगर पालिका सेवा (स्वास्थ्य) नियम 2011 विद्यमान है तथा उक्त नियम मे संशोधन हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। नियमों के अनुसार अतिरिक्त पदों का सृजन जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा।

33 नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 28 नगरीय स्थानीय निकायों में इस प्रयोजन हेतु पृथक से कोई अमला पदस्थ नहीं किया गया। यह भी देखा गया कि 10 नगरीय स्थानीय निकायों में सफाई दरोगा तथा स्वच्छता निरीक्षकों के 159 अस्थाई पदों में से 83 पद रिक्त थे। जबकि सफाई अमले के 13 से 54 प्रतिशत तक पद रिक्त थे(**परिशिष्ट-2.5**)। इस कार्य हेतु पृथक अमला पदस्थ नहीं किये जाने के कारण नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का क्रियान्वयन नियमों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया जा सका।

इंगित किये जाने पर (अगस्त 2012 से मार्च 2013), आयुक्त तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों द्वारा उत्तर दिया गया (अगस्त 2012 से मार्च 2013) कि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु पृथक से अमला उपलब्ध नहीं कराया गया। नौ नगरीय स्थानीय

निकायों[31] द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कर्मचारियों की आवश्यकता का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था (जनवरी 2011 तथा 2012)। तीन नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा (चांदमेटा, छिन्दवाड़ा, शहडोल) उत्तर दिया गया कि कर्मचारियों हेतु प्रस्ताव भेजा जायेगा तथा शेष नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु कर्मचारियों की आवश्यकता पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी।

निर्गम सम्मलेन के दौरान (अप्रैल 2013), विभाग ने लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा बताया कि राज्य स्वच्छता सेवाओं के अंतर्गत जनशक्ति प्रबंधन हेतु योजना तैयार की गयी है।

अनुशंसा- नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बेहतर क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त कर्मचारियों की पदस्थापना सुनिश्चित की जानी चाहिये।

2.1.12 निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली

2.1.12.1 अपर्याप्त निगरानी व्यवस्था

नियमों के पैरा 5(I) के अनुसार राज्य के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रभारी सचिव, महानगरों में इन नियमों के प्रवर्तन हेतु संपूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें, तथा पैरा 5(2) के अनुसार संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट का उनकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर इन नियमो के उपबंधों के प्रवर्तन का संपूर्ण उत्तरदायित्व होगा। नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली के अध्याय 25 के पैरा 25.2 में उल्लेख किया गया है कि स्थानीय निकायों को निर्देशित करने हेतु राज्य शासन को समुचित क्रियाविधि बनानी चाहिये और स्थानीय निकायों को उनके अनिवार्य सेवाओं के प्रभावी निष्पादन हेतु जागरूक करने के लिये मुख्य भूमिका निभानी चाहिये।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि नगरीय स्थानीय निकायों को सहयोग प्रदान करने हेतु राज्य शासन ने कोई योजना व दिशानिर्देश तैयार नहीं किये तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की क्रियान्वयन हेतु निगरानी समिति का गठन भी नहीं किया गया। निगरानी हेतु आवश्यक अभिलेख जैसे एकीकृत निगरानी प्रतिवेदन तथा नगरीय स्थानीय निकाय वार क्रियान्वयन की स्थिति दर्शाने वाले अभिलेख संधारित नहीं किया गया।

इंगित किये जाने पर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया कि उप संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को निगरानी हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये गये थे। उप संचालक ग्वालियर तथा इंदौर अपने अधिकार क्षेत्र में नियमों को लागू किये जाने की जानकारी उपलब्ध नहीं करा सके।

सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की निगरानी से संबंधित सूचना भेजने हेतु पत्र जारी किया गया, किन्तु कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई (मार्च 2013)।

[31] अलीराजपुर, भोपाल, चित्रकुट, इन्दौर, खजुराहो, लौड़ी, नागौद, सीहोर तथा उमरिया

चयनित नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच मे आगे पाया गया कि नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा न तो निगरानी समिति का गठन किया गया एवं ना ही जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य शासन को निगरानी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013) शासन ने आपत्ति को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया कि नियमित निगरानी हेतु निर्देश जारी किये जायेंगे।

अनुशंसा-	नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बेहतर क्रियान्वयन हेतु निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

2.1.12.2 वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया जाना

नियम 4(4) के अनुसार प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा प्रपत्र-II में एक वार्षिक रिपोर्ट राज्य के सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को प्रस्तुत करना चाहिये जिसमें उत्सर्जित अपशिष्ट की मात्रा, संग्रहण, प्रसंस्करण तथा भूमिभरण स्थल पर उपलब्ध अन्य सुविधायें जैसे-भारतोलक, बाड़ एवं प्रकाश की जानकारी सम्मिलित होनी चाहिये। राज्य शासन द्वारा यह भी निर्देश दिये गये (मई 2004) कि नियमों को लागू किये जाने संबंधी वार्षिक रिपोर्ट जिला कलेक्टर को प्रस्तुत की जानी चाहिये।

चयनित नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि 26 नगरीय स्थानीय निकायों[32] द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी। पांच नगरीय स्थानीय निकायों[33] द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी तथा दो नगरीय स्थानीय निकायों[34] द्वारा वर्ष 2008-09 से वार्षिक रिपोर्ट जिला कलेक्टर/उप संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को प्रस्तुत की गयी। आगे नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि नगरीय स्थानीय निकायों की संकलित वार्षिक प्रतिवेदन की जानकारी उपलब्ध नहीं थी किन्तु लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर संचालनालय स्तर से यह जानकारी मांगी गई (दिसम्बर 2012)।

इंगित किये जाने पर (अगस्त-नवंबर 2012), मुख्य नगर पालिका अधिकारियों ने उत्तर दिया कि (अगस्त-नवंबर 2012) रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है, तथा आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने उत्तर दिया।(अक्टूबर 2012) कि जानकारी संकलित की जायेगी।

छः जिलों[35] के जिला मजिस्ट्रेट से वार्षिक रिपोर्ट के विषय में जानकारी मांगी गयी (अगस्त 2012-दिसम्बर 2012) किन्तु कोई जानकारी जिला मजिस्ट्रेटों से प्राप्त नहीं हुयी (मार्च 2013)।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), शासन ने लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया कि नगरीय स्थानीय निकायों को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किये जायेंगे।

---

[32] अलीराजपुर, व्यौहारी, भिण्ड, भोपाल, बुढ़ार, बुधनी, छतरपुर, चित्रकूट, इटारसी, खजुराहो, कोलार, लौड़ी, मक्सी, मंडीदीप, मोहगांव, नागौद, नसरूल्लागंज, नौरोजाबाद, नेपानगर, राधोगढ़, सतना, सीहोर, सिवनीमालवा, सोहागपुर, शुजालपुर तथा विदिशा

[33] चांदामेटा, छिन्वाड़ा, इन्दौर, परासिया तथा उमरिया

[34] चित्रकूट तथा शहडोल

[35] छिन्दवाड़ा, ग्वालियर, होशंगाबाद, इन्दौर, शाजापुर तथा विदिशा

2.1.12.3 नियमों की अवहेलना किये जाने पर दंड अधिरोपित नहीं किया जाना

नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 418(अ) के अनुपालन में राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये (अप्रैल 2008) कि सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी, तथा सीवर का पानी फैलाने वाले व्यक्तियों पर अर्थदंड अधिरोपित तथा वसूल किया जाये जो प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 से ₹ 1000 तक होगा।

चयनित नगरीय स्थानीय निकायों (चार नगर पालिक निगम) के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि दो नगरीय स्थानीय निकायों[36] द्वारा अपने क्षेत्र मे निष्पादन लेखा परीक्षा अवधि (2007-12) के दौरान किसी प्रकार का अर्थदंड अधिरोपित नहीं किया गया।

नगर पालिक निगम सतना द्वारा अर्थदंड अधिरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया किन्तु नियमों का उल्लंघन प्रकाश में नहीं आया।

नगर पालिक निगमों के आयुक्तों द्वारा आपत्ति को स्वीकार किया गया तथा उत्तर दिया गया कि (अगस्त से नवंबर 2012) परिषद सदस्यों के सहमति के बिना अर्थदंड अधिरोपित तथा वसूल नहीं किया जा सकता।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), शासन ने उत्तर दिया कि नियमों का उल्लंघन किये जाने पर अर्थदंड अधिरोपित किये जाने हेतु मात्र नगरीय स्थानीय निकाय जिम्मेदार है। आवश्यक निर्देश जारी किये जायेगे।

2.1.13 सतर्कता व्यवस्था

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली के पैरा 23.3.1.4 ।।(ब) के अनुसार प्रत्येक माह स्वच्छता नियमों के उल्लंघन संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों के आंकड़े एकत्रित किये जाने चाहिये जिससे नियमों के क्रियान्वयन की स्थिति में सुधार किया जा सके।

चयनित नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों के उल्लंधन संबंधी कोई शिकायत/न्यायालयीन प्रकरण सूचित नहीं किये गये परन्तु नगर पालिका नसरूल्लागंज तथा विदिशा में भूमिभरण स्थल पर अतिक्रमण संबंधी एक-एक न्यायालयीन प्रकरण दर्ज किये गये थे।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), शासन ने उत्तर दिया कि सतर्कता व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जायेगे।

2.1.14 सेवा प्रदाय का स्तर निर्धारित किया जाना

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के पैरा 10.160 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर (31 मार्च) चार सेवा क्षेत्रों जैसे जलप्रदाय,सीवरेज,बाढ़ के पानी की निकासी तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में प्रदाय की जाने वाली सेवाओं के लिये एक मानक स्तर अधिसूचित किया जायेगा जिसे उन्हें अगले वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त करना होगा। यह नगरीय विकास मंत्रालय द्वारा इन चार सेवा क्षेत्र के लिये प्रकाशित संकेतकों

[36] इन्दौर (₹ 31.51 लाख) तथा शहडोल (₹ 1.78 लाख)

के विरूद्व सेवाओं के न्यूनतम स्तर के विषय में की गई धोषणाओं के रूप में हो सकता है। राज्य के राजपत्र में प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के पूर्व एक अधिसूचना प्रकाशित की जायेगी तथा प्रकाशन के तथ्य शर्तों के अनुपालन को प्रदर्शत करेंगें। नगरीय ठोस अपशिष्ट के संबंध में नगरीय विकास मंत्रालय द्वारा निम्न अनुसार सेवा प्रदाय हेतु बेचमार्क निर्धारित किये गये है विवरण तालिका 8 में दर्शाया गया हैः-

तालिकाः8 नगरीय स्थानीय निकायों हेतु सर्विस लेवल बेचमार्क का विवरण

स. क्र.	प्रस्तावित मानक	बेंचमार्क
1	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं का परिवार स्तर तक विस्तार	100%
2	नगरीय ठोस अपशिष्ट के एकत्रीकरण में दक्षता	100%
3	नगरीय ठोस अपशिष्ट के पृथक्कीकरण का विस्तार	100%
4	रिकवर किये गये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का विस्तार	80%
5	नगरीय ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक रीति से निपटान का स्तर	100%
6	उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण का स्तर	80%
7	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं हेतु लागत की वसूली का विस्तार	100%
8	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभार की वसूली में दक्षता	90%

33 नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि 13 नगरीय स्थानीय निकायों[37] द्वारा सर्विस लेवल बेंचमार्किंग हेतु किसी प्रकार की योजना नहीं बनायी गयी और सर्विस लेबल बेंचमार्किंग के संबंध में आठ नगरीय स्थानीय निकायों[38] की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। 12 नगरीय स्थानीय निकायों[39] द्वारा सर्विस लेबल बेंचमार्किंग बनाये गये तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को प्रेषित किये गये। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सर्विस लेबल बेंचमार्किंग संबंधी अभिलेख की नमूना जांच मे पाया गया (अक्टूबर 2012) कि 360 नगरीय स्थानीय निकायों में से 113 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा चाहे अनुसार वर्ष 2010-12 के लिये सर्विस लेबल बेंचमार्क तैयार किये गये तथा उन्हें राजपत्र मे प्रकाशित किया गया।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), शासन ने उत्तर दिया कि नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा सर्विस लेवल बेंचमार्क तैयार किये गये थे।

उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति के अनुरूप नहीं था।

2.1.15 अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु

2.1.15.1 सामग्री का अनियमित क्रय

नगर पालिका लेखा नियम 1961 के नियम 160 तथा 162 के अनुसार मुख्य नगरपालिका अधिकारी को सामग्री की आवश्यकता हेतु एक प्राक्कलन तैयार करना

---

37 अलीराजपुर, व्यौहारी, बुढ़ार, चांदामेटा, चित्रकूट, इटारसी, खजुराहो, लौड़ी, नागौद, नसरूल्लागंज, नौरोजाबाद, राधोगढ़, सोहागपुर

38 बुधनी, छतरपुर, कोलार, मोहगांव, मक्सी, नेपानगर, परासिया तथा शुजालपुर

39 भिण्ड, भोपाल, छिन्दवाड़ा, ग्वालियर, इन्दौर, मंडीदीप, सतना, शहडोल, सीहोर, सिवनीमालवा, उमरिया तथा विदिशा

चाहिये तथा वित्तीय समिति से अनुमोदित कराया जाना चाहिये। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा अनुमत्य सीमा तक सामग्री का क्रय किया जा सकता है।
नगर पालिका सिवनी मालवा तथा शहडोल के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि सामग्री का क्रय वास्तविक आवश्यकता का आकलन किये बिना किया गया जिसका विवरण तालिका- 9 में दर्शाया गया है।

तालिकाः9 क्रय सामग्री का विवरण

(₹लाख में)

स. क.	नगरीय निकाय का नाम	सामग्री का नाम	इकाई दर	भुगतान राशि	उपयोग की मात्रा	अनुपयोगी मात्रा	राशि
1	नगर पालिका सिवनीमालवा	सीमेंट क्रांक्रीट पोल	400@165 प्रति पोल अक्टूबर 2008	0.66	35	365	0.60
2	नगर पालिका शहडोल	कटीले तार	2594 किलो ₹ 93.90 प्रति किलो +13% वेट, नवंबर 2011	2.75	निरंक	2594 किलो	2.75
						योग	3.35

स्त्रोत- नमूना जांच किये गये नगरीय स्थानीय निकाय

नगर पालिका सिवनी मालवा द्वारा अप्रैल 2008 तथा नगरपालिका शहडोल द्वारा नवंबर 2011 मे सामग्री क्रय हेतु वित्तीय अनुमोदन प्राप्त किया गया। उपरोक्त नगरीय निकायों के भंडार में राशि ₹ 3.35 लाख में क्रय की गयी सामग्री 10 से 48 माह तक अनुपयोगी रही।

इंगित किये जाने पर (सितम्बर व अक्टूबर 2012) मुख्य नगर पालिका अधिकारी सिवनी मालवा द्वारा उत्तर दिया गया (सितम्बर व अक्टूबर 2012) कि आवश्यकता के अनुसार सामग्री क्रय की गयी थी किन्तु भूमि का आधिपत्य प्राप्त न होने के कारण सामग्री का उपयोग नहीं किया गया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी शहडोल द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य में सामग्री का उपयोग किया जायेगा।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), शासन ने उत्तर दिया कि उक्त सामग्री का उपयोग किये जाने हेतु निर्देश जारी किये जायेगे।

2.1.15.2 भूमिभरण स्थल पर गैस नियंत्रण इकाई तथा अग्नि शमन उपकरण स्थापित नहीं किया जाना।

नियमों की अनुसूची ।।। के पैरा 25-27 के प्रावधानों के अनुसार भूमिभरण स्थल पर गैस नियंत्रण प्रणाली सहित गैस संग्रहण प्रणाली की स्थापना की जायेगी जिससे दुर्गन्ध को न्यूनतम किया जा सके तथा गैसों के अपस्थलीय फैलने से रोका जा सके। भूमि भरण स्थलों से निकलने वाली मीथेन गैस का सान्द्रण न्यूनतम विस्फोटक सीमा 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। भूमिभरण स्थल पर गैस का उपयोग उपलब्धता के अनुसार या तो सीधा तापीय उपयोजना या विद्युत उत्पादन में किया जाएगा।

नगर पालिक निगम ग्वालियर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि नगर पालिक निगम ग्वालियर द्वारा 25.477 हेक्टेयर भूमि मेसर्स ए.के.सी. डेवलेवमेंट ऑफ इंडिया को केदारपुर चंदोहखुर्द में प्रसंस्करण संयत्र स्थापित करने हेतु दी गई तथा 25

वर्ष के लिये (मार्च 2008) अनुबंध किया। यह देखा गया कि निगरानी समिति द्वारा कंपनी को समय-समय पर (अप्रैल 2011 तथा मई 2011) संयत्र की सुरक्षा हेतु अग्निशमन उपकरण स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया किन्तु कंपनी द्वारा निगरानी समिति के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। यह भी देखा गया कि संयत्र में मई 2010 में आग लगने से संयंत्र को लगभग 60 से 80 प्रतिशत तक क्षति हुई।

नगर पालिक निगम इंदौर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि गैस नियंत्रण प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी।

नगर पालिक निगम ग्वालियर द्वारा तथ्य को स्वीकार किया गया (अक्टूबर 2012) तथा उत्तर दिया गया कि कंपनी को गैस नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने हेतु निर्देश जारी किये जायेगें। नगर पालिक निगम इन्दौर के विषय में आयुक्त द्वारा उत्तर दिया गया कि गैस नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकता नहीं है क्योकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर वायु जांच की गयी थी।

नगर पालिक निगम इंदौर का उत्तर नियमो के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), शासन ने उत्तर दिया कि नगर पालिक निगम ग्वालियर को इस विषय में निर्देश जारी किये जायेगे।

2.1.16 निष्कर्ष

- राज्य शासन द्वारा राज्य में नियमों के क्रियान्वयन हेतु सम्यक योजना तैयार नहीं की जा सकी।

  (पैरा 2.1.5)

- बैंकों में राशि अवरूद्ध रखी गयी।

  (पैरा 2.1.6.4)

- बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त राशि को व्यपवर्तित किया गया।

  (पैरा 2.1.6.5)

- कपटपूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये।

  (पैरा 2.1.6.6)

- जन जागरूकता अभियान संचालित नहीं किये गये।

  (पैरा 2.1.7.3)

- पृथक्कीकरण कार्य नहीं किया गया।

  (पैरा 2.1.7.7)

- प्रसंस्करण सुविधाओ को विकसित नहीं किया गया।

  (पैरा 2.1.8)

- नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु पृथक से अमले का नियोजन नहीं किया गया।

  (पैरा 2.1.11)

- नियमों के क्रियान्वयन में निगरानी का अभाव था।

  (पैरा 2.1.12.1)

2.2 शहरी स्थानीय निकाय खंडवा, शिवपुरी एवं भोपाल द्वारा कियान्वित सार्वजनिक निजी भागीदारी आधारित परियोजना पर कथ्यात्मक कंडिका।

सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी परियोजना को परिभाषित की गई है कि सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निजी क्षेत्र से अनुबन्ध करें, कि जो परियोजना को समय पर पूर्ण करने हेतु अपनी पूंजी एवं योग्यता प्रदान कर सके जिससे सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा लोगों को प्रदाय किये जाने वाले उत्तरदायित्वों का इस प्रकार उपलब्धता हो सकें जिससे कि उनका आर्थिक विकास तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके ।

खंडवा एवं शिवपुरी नगरों के जल आपूर्ति में वृद्वि के लिये परियोजना तथा भोपाल नगर निगम द्वारा बस स्टॉप/आधुनिक शौचालय जिनका निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत किया गया, का चयन लेखा परीक्षा में विस्तृत अध्ययन के लिये किया गया। परियोजनाओं के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैः–

- भुगतान अनुसूची यू को अप्रासंगिक रूप से तैयार करने के परिणामस्वरूप ₹10.30 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया। नगर पालिक निगम खंडवा द्वारा त्रुटिपूर्ण अनूसूची तैयार की गई तथा ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया ।

  (पैरा 2.2.6.1)

- कर्मचारी आवासों के निर्माण पर राशि ₹ 9.96 लाख का अनियमित व्यय किया गया । इस मद में किया गया भुगतान विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में स्वीकृत नहीं था।

  (पैरा 2.2.6.2)

- विलंब शुल्क राशि ₹ 59 लाख का कटौत्रा नहीं किया जाना। परियोजना निर्धारित समयावधि में पूर्ण नही की गई तथा खंडवा नगर निगम द्वारा समयावधि में वृद्वि प्रदान नहीं की गयी परिणामस्वरूप परियोजना के अनुबंध पत्र की शर्त क्रमांक 13.4 के अनुसार देय लिक्विडेटेड डैमेज से कम कटौत्रा किया गया ।

  (पैरा 2.2.6.3)

- निविदा सुरक्षा राशि ₹ 1.24 करोड़ (खंडवा 54 लाख तथा शिवपुरी 70 लाख) कम प्राप्त की गई ।

  (पैरा 2.2.6.5)

- नगर निगम खंडवा द्वारा कार्य सुरक्षा की राशि ₹ 18 लाख कम प्राप्त किया जाकर ठेकेदार (रियायतकर्ता) को अनुचित वित्तीय लाभ प्रदान किया गया ।

  (पैरा 2.2.6.6)

- 50 कियोस्क सिस्टम रहित बस अड्डों का निर्माण किये जाने से राशि ₹ 15 लाख की राजस्व हानि हुई। मेयर इन कांउसिल द्वारा बिना किसी तकनीकी आधार पर लिये गये विरोधाभाषी निर्णय पारित करने के कारण राजस्व हानि हुई ।

  (पैरा 2.2.7.1)

- आधुनिक शौचालयों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होने से राशि ₹ 7.87 करोड की हानि हुई ।

  (पैरा 2.2.7.2)

2.2.1 परियोजना का परिचय तथा संक्षिप्त जानकारी

(I) खंडवा तथा शिवपुरी जल प्रदाय परियोजना

वर्तमान में खंडवा नगर के लिए जल प्रदाय सुक्ता तथा नागचून जल शुद्विकरण संयत्र से किया जा रहा है । संयत्र की कुल क्षमता 15.7 मिलीयन लीटर प्रति दिन (एम.एल.डी) है। डीपीआर में जल की कुल आवश्यकता निर्धारित मानकों के अनुसार 215400 जनसंख्या के लिए 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से 29 एमएलडी आंकी गई थी। खंडवा नगर में वर्षाकाल एवं सर्दियों के मौसम में जल प्रदाय लगभग 68 लाख प्रति व्यक्ति प्रति दिन थी जो जल आपूर्ति की औसत आवश्यकता से काफी कम थी ।

शिवपुरी नगर की 1.80 लाख जनसंख्या को वर्ष 2010 में प्रतिदिन 24.30 एमएलडी जल आपूर्ति की आवश्यकता थी परंतु शीतकाल में एक दिन छोडकर केवल 30 मिनिट के लिए जल आपूर्ति करने हेतु मात्र 5 एमएलडी जल ही उपलब्ध था । गर्मियों में जल आपूर्ति 3–4 दिनों में एक बार की जाती थी ।

उक्त नगरों में अनिश्चित एवं अपर्याप्त जलापूर्ति के संबंध में विचार उपरांत राज्य स्तरीय स्वीकृतकर्ता समिति द्वारा (सितम्बर 2007) संबंधित नगरीय निकायों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत कार्ययोजना के आधार पर लघु एवं मध्यम शहरों के लिए शहरी अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत ₹ 106.72 करोड़ एवं राशि ₹ 59.65 करोड़ की परियोजना स्वीकृत किए गये। लघु एवं मध्यम शहरों के लिए शहरी अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत निधियों की व्यवस्था केन्द्र, राज्य एवं नगरीय निकायों के द्वारा क्रमशः 80:10:10 के अनुपात में की जानी थी।

नगरीय स्थानीय निकायों की खराब वित्तीय स्थिति के कारण तथा परियोजना की लागत का 10 प्रतिशत अंशदान देने में असमर्थता के कारण संबंधित नगरीय निकायों के सामान्य सभा की बैठक में उक्त परियोजना को सार्वजिनक निजी भागीदारी के आधार पर क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया।

निर्माण कार्य के अतिरिक्त संबंधित फर्म परियोजना के संचालन एवं संधारण के लिए भी उत्तरदायी थी तथा जल कर की वसूली का अधिकार 25 वर्ष की रियायती अवधि के लिए फर्म को दिया गया था।

(II) भोपाल में आधुनिक शौचालय एवं बस स्टॉप का निर्माण

भोपाल नगर निगम द्वारा भोपाल में लोक सुविधा के लिए सार्वजिनक निजी भागीदारी के आधार पर 100 बस अड्डों (अप्रैल 2006) तथा 36 आधुनिक शौचालयों (दिसंबर 2007) के निर्माण का निर्णय लिया था। तदनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई एवं निविदाकर्ता को कार्यादेश जारी किए गए । इस प्रतिरूपक के अनुसार निजी संस्था द्वारा संपूर्ण लागत वहन की जानी थी। संस्था द्वारा किये जाने वाले व्यय के एवज में संस्था को बस अड्डों हेतु 5 वर्ष के लिए एवं आधुनिक शौचालय हेतु 50 वर्ष के लिये विज्ञापन अधिकार दिए गए थे। संस्था राशि ₹ 90 लाख बस स्टॉप के लिए तथा ₹ 7.87 करोड़ आधुनिक शौचालयों के लिए नगरीय निकाय को क्रमशः चार तथा 14 किश्तों में प्रीमियम के रूप में प्रदान करने हेतु भी सहमत थी ।

2.2.2 लेखा परीक्षा उद्देश्य

लेखा परीक्षा यह ज्ञात करने के लिये की गयी कि क्याः–

- परियोजना प्रबंधन प्रभावपूर्ण एवं उत्तरदायी था जिससे परियोजना के वांछित लाभ प्राप्त किए जा सके;
- निजी संस्था द्वारा लोक निधि का उपयोग मितव्ययता, प्रभावकारिता, दक्षतापूर्वक तरीके से किया गया;
- परियोजना के निविदा कार्य, क्रियान्वयन एवं उपयोग हेतु सही प्रक्रिया का पालन किया गया।

2.2.3 लेखा परीक्षा मानदंड

लेखा परीक्षा मानदंड का आधार निम्नानुसार है–

- मध्य प्रदेश में सार्वजिनक निजी भागीदारी परियोजना के दिशा निर्देश।
- नगरीय निकाय एवं निजी संस्था के मध्य संपादित अनुबंध पत्र।
- राज्य शासन द्वारा स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं निविदा प्रपत्र।
- चल देयक एवं परियोजना से संबंधित अन्य अभिलेख।

2.2.4 लेखा परीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्य प्रणाली

- अनुबंध स्थिति से व्यवस्थापन स्थिति एवं अनुमोदन स्तर तक परियोजना अभिलेखों की जांच।
- विभिन्न अनुबंधों के विधिक एवं दायित्वों जो निजी संस्थाओं एवं निविदकारों के मध्य किए गये, से संबंधित प्रपत्रों का सत्यापन।
- छूट प्रदान करने के लिए वित्तीय आधारों की व्यवहारिकता एवं रियायत प्रदान करने के औचित्य की समीक्षा तथा परिमाणात्मक तकनीक प्रयोग करते हुए राजस्व उगाही के परीक्षणों की समीक्षा।
- निविदा प्रक्रिया की पूर्णता एवं पारदर्शिता का आंकलन।
- निर्माण कार्यो एवं अभियांत्रिकीय की गुणवत्ता, नवीनता, मितव्ययता तथा दक्षता के सत्यापन के लिए सीमित लेखा परीक्षा।
- मानकों के अनुसार विनिर्दिष्टता एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जहां आवश्यक हो गुणवत्ता जांच करना।
- गुणवत्ता के परीक्षण हेतु यदि आवश्यक हो तो विशेषज्ञ नियुक्त करना।
- लोक धन की सुरक्षा एवं उपयोग तथा वास्तविक राजस्व उगाही की जांच।

2.2.5 आयोजना

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार खंडवा नगर की जनसंख्या वर्ष 2040 में 3.47 लाख हो जायेगी जिसके लिए जल की मांग 56 एमएलडी प्रतिदिन आंकी गई थी जबकि शिवपुरी नगर की जनसंख्या वर्ष 2040 में 3.60 लाख होने के आधार पर जल की मांग 61 एमएलडी प्रतिदिन आंकी गई थी । वर्ष 2009 में दोनों परियोजनाओं के लिए कार्यादेश जारी किए गए तथा कार्यपूर्णता की अवधि 24 माह निर्धारित की गई थी। इंटेक वेल तथा ओव्हर हेड टेंकों का निर्माण, निर्वाद जल आपूर्ति डिस्ट्रीब्यूसन

जाल माध्यम से किया जाना था। मुख्य शहर से होते हुए मिसरोद से बैरागढ़ के लिए बस रूट निर्धारित किया गया।

भारत सरकार के आदेश के अनुपालन में आईडीएसएमटी, एयूएसयूपी तथा लघु एवं मध्यम शहरो के लिए शहरी अधोसंरचना विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2006 में " मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण संघ " को राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया था। जनवरी 2010 में संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया ।

2.2.6 परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति

खंडवा एवं शिवपुरी नगरों की जल आपूर्ति परियोजना केन्द्र द्वारा वित्त पोषित लघु एवं मध्यम शहरों के लिए शहरी अधोसंरचना विकास के अंतर्गत वित्त पोषित थी, जबकि बस स्टाप तथा आधुनिक शौचालय के निधियों की व्यवस्था विज्ञापन अधिकार के आधार पर निजी संस्था द्वारा की जानी थी । संबंधित निजी संस्था से अनुबंध के अनुसार परियोजना की कुल लागत को पूरा करने के लिए एक इस्क्रो खाता संधारित किया जायेगा। उक्त परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार थीः–

(I) जल प्रदाय परियोजना, खंडवा

(₹ करोड़ में)

नगरीय निकाय का नाम	परियोजना का नाम	अंश	निर्धारित अंश	प्राप्त निधियां (30.6.12)	उपयोग की गयी निधि (30.6.12)
खंडवा	जलआपूर्ति परियोजना	केन्द्र सरकार	85.38	42.69	41.45
		म0प्र0 शासन	10.67	10.67	10.45
		पी.पी.पी.अंश	10.67	6.64	6.57
		अन्य (ब्याज)	निरंक	2.26	2.26
		योग	**106.72**	**62.26**	**60.73**

उपरोक्त् तालिका से स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार द्वारा उनके निर्धारित अंश ₹ 85.38 करोड़ में से जून 2012 तक केवल ₹ 42.69 करोड़ (50 प्रतिशत) राशि जारी की गई जिसके कारण परियोजना कियान्वयन की प्रगति धीमी रही।

(II) जल प्रदाय परियोजना शिवपुरी

(₹ करोड़ में)

नगरीय निकाय का नाम	परियोजना का नाम	अंश	निर्धारित अंश	प्राप्त निधियां (30.6.12)	प्राप्त निधियों की उपयोगिता (30.6.12)
शिवपुरी	जलप्रदाय योजना	केन्द्र सरकार	47.72	42.91	35.62
		म0प्र0 शासन	5.96		
		पीपीपी अंश	5.97	1.01	
		अन्य (ब्याज)	निरंक	1.37	
		योग	**59.65**	**45.29**	**35.62**

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा उनके निर्धारित अंश राशि ₹ 53.68 करोड़ में से ₹ 42.91 करोड़ (80 प्रतिशत) ही जारी किए गये और रियायतकर्त्ता द्वारा कुल उपलब्ध राशि का 79 प्रतिशत उपयोग किया गया ।

(III) नगर पालिक निगम भोपाल की परियोजनायें

(₹ करोड़ में)

नगरीय निकाय का नाम	परियोजना का नाम	निजी फर्म की परियोजना लागत	अनुबंध के अनुसार नगरीय निकाय को कंपनी द्वारा देय प्रीमियम	कुल प्राप्त प्रीमियम	प्राप्ति हेतु शेष प्रीमियम
नगर पालिक निगम भोपाल	100 बस स्टॉप का निर्माण	अनुपलब्ध	0.90	0.68	0.21
	36 आधुनिक शौचालयों का निर्माण	अनुपलब्ध	7.87	निरंक	7.87

उपरोक्त् तालिका के अनुसार हमने देखा कि 36 आधुनिक शौचालयों के निर्माण के लिए नगरीय निकाय को प्रीमियम शुल्क अप्राप्त रहा ।

लेखा परीक्षा परिणाम

2.2.6 जल प्रदाय परियोजना खंडवा/शिवपुरी

2.2.6.1 दोषपूर्ण भुगतान अनुसूची यू के कारण अधिक व्यय राशि ₹ 10.30 करोड़

खंडवा जल प्रदाय परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर क्रियान्वित की गई थी तथा निविदा एकमुश्त अनुबंध के अंतर्गत आमंत्रित की गई थी । परियोजना की कुल लागत ₹103.61 करोड़ थी। इस लागत में से राशि ₹ 93.25 करोड़ केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई थी तथा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत ₹ 10.36 करोड़ रियायतकर्त्ता द्वारा वहन की जानी थी ।

मै0 विश्वा इन्फ्रास्ट्रकचर प्रायवेट लिमिटेड हैदराबाद द्वारा प्रपत्र 15–बी में परियोजना के विभिन्न मदों के लिए एकमुश्त दरें प्रस्तुत की गई। प्रपत्र 15–बी में इंटेकवैल के निर्माण हेतु ₹ दो करोड़ अंकित था तथा क्लीयर वाटर ट्रांसमीशन मेन के निर्माण हेतु ₹ 50.44 करोड़ की दर अंकित की गई थी। भुगतान की अनुसूची नगरीय निकाय द्वारा, निविदाकर्ता के मद वार अंकित की गई लागत दरों के आधार पर तैयार की जानी थी । विवरण निम्नानुसार हैः–

(₹ करोड़ में)

मद	प्रपत्र 15बी के अनुसार स्वीकृत लागत	भुगतान अनुसूची यू में दर्शित लागत	चल देयक में दर्शित लागत	कार्य की स्थिति (लागत)	कार्य की स्थिति के अनुसार देय राशि	फर्म को कुल भुगतान की गई राशि	प्रपत्र 15 बी के अनुसार फर्म को अधिक भुगतान	कार्य स्थिति के अनुसार फर्म को अधिक भुगतान
1	2	3	4	5	6(2*5)	7	8(7-2)	9 (7-6)
इंटेक वेल	2.00	2.53	2.81	80	1.60	2.25	0.25	0.65
क्लीयर वाटर राईजिंग मेन	50.44	56.25	62.50	80	40.35	50.00	–	9.65
योग							**0.25**	**10.30**

अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि इंटेक वेल निर्माण कार्य के मूल्यांकन के उपरांत फर्म को ₹ 2.25 करोड़ का भुगतान फर्म द्वारा अंकित दर दो करोड़ के स्थान पर किया

गया। इस प्रकार प्रपत्र 15– बी में देय राशि से ₹ 25 लाख का अधिक भुगतान किया गया । कार्य की वास्तविक स्थिति के अनुसार इंटेक वेल का निर्माण कार्य 80 प्रतिशत ही पूर्ण था जिसके लिए केवल ₹1.60 करोड़ ही भुगतान किया जाना चाहिये था, परंतु ₹ 2.25 करोड़ का भुगतान किया गया जो स्वीकृत लागत की तुलना में ₹ 65 लाख अधिक था। क्लीयर वाटर ट्रांसमीशन मेन मद के अंतर्गत स्वीकृत लागत ₹ 50.44 करोड़ थी, अनुसूची यू के अंतर्गत यह लागत ₹ 56.25 करोड़ तथा चल देयक में लागत ₹ 62.50 करोड़ दर्शायी गई थी जो आपस में विरोधाभास दर्शाती थी । कार्य की वास्तविक स्थिति के अनुसार केवल 80 प्रतिशत पूर्ण कार्य हेतु फर्म को 99 प्रतिशत भुगतान किया गया था परिणामस्वरूप फर्म को ₹10.30 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया ।

सितंबर 2012 में यह इंगित किए जाने पर आयुक्त नगर पालिक निगम खंडवा ने उत्तर दिया कि भुगतान अनुबंध के प्रपत्र 15 बी के अनुसार किया गये थे।

उत्तर स्वीकार्य योग्य नही है क्योंकि भुगतान प्रपत्र 15 बी में अंकित दर से अधिक भुगतान किया गया था ।

2.2.6.2 शिवपुरी जल प्रदाय परियोजना के अंतर्गत कर्मचारी आवास निर्माण पर अनियमित व्यय राशि ₹ 9.96 लाख

शिवपुरी जल प्रदाय परियोजना के लिए स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के मूल्यांकन प्रतिवेदन में कर्मचारी आवास मद अनुमत्य नहीं था।

नगर पालिका परिषद शिवपुरी में परियोजना से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा में देखा गया कि ₹ 9.96 लाख (₹ 6.72 लाख एच टाईप आवास मे स्लेब स्तर निर्माण के लिए तथा ₹ 3.24 लाख आई टाईप आवासों के निमार्ण हेतु) कर्मचारी आवासों के निर्माण हेतु फर्म को भुगतान किया गया।

इस संबंध में इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 2012) , मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने उत्तर में बताया कि इंटेक वेल तथा जल शोधन संयंत्र शहर से दूर जंगल में स्थित हैं। उक्त मशीनों के संचालन एवं संधारण के लिए 24 घंटे नियुक्त कर्मचारी को निवास की सुविधा की दृष्टि से आवासों का निर्माण आवश्यक था। इस पर किया गया व्यय सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत फर्म के अंश में से किया जायेगा ।

उत्तर अनुमोदित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार नहीं था नगर पालिका शिवपुरी द्वारा भुगतान पूर्व में ही परियोजना निधि से किया जा चुका था।

2.2.6.3 खंडवा जल प्रदाय योजना के अंतर्गत विलंब शुल्क की राशि ₹ 59 लाख कम कटौती की जाना

अनुबंध (सितंबर 2009) के पैरा 13.4 के अनुसार फर्म से विलंब शुल्क के लिए ₹ 50 लाख प्रति सप्ताह अथवा अधिकतम परियोजना लागत ₹ 103.61 करोड़ का एक प्रतिशत काटा जाना था। तदनुसार (सितंबर 2009) में मै0विश्वा इन्फास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड हैदराबाद को जल प्रदाय परियोजना खण्डवा को संचालित करने हेतु कार्यादेश दिया गया तथा जिसमें परियोजना को 24 माह के भीतर सितंबर 2011 तक पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया था।अभिलेखों की समीक्षा में देखा गया कि परियोजना निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं की गई। फर्म ने अप्रैल 2012 में समयावृद्वि के लिए आवेदन किया तथा नगर पालिक निगम खंडवा द्वारा (मई 2012) अगस्त 2012

तक की समयावृद्वि के लिए आवेदन अग्रेषित किया गया। परियोजना के किसी भी घटक को (सितंबर 2012) पूर्ण नहीं किया गया था। नगर पालिक निगम खंडवा द्वारा इसके लिए चल देयक क्रमांक 14 (अवधि दिनांक 1.4.11 से 24.6.11) से विलंब शुल्क ₹1.04 करोड़ (₹103.61 करोड़ का एक प्रतिशत की दर से) के स्थान पर केवल ₹ 45 लाख की कटौती की गई ।
इस प्रकार विलम्ब शुल्क के रूप में राशि ₹ 59 लाख कम कटौती कर फर्म को अदेय वित्तीय लाभ दिया गया ।

इंगित किए जाने पर (सितंबर 2012) आयुक्त नगर पालिक निगम खंडवा ने उत्तर में दिया कि विलंब शुल्क की शेष राशि आगामी चलदेयक से कटौती की जायेगी।

2.2.6.4 शिवपुरी जल प्रदाय परियोजना के अनुबंध में पायी गई अनियमितताएं

यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत शिवपुरी जल प्रदाय परियोजना के अनुबंध की समीक्षा में निम्नलिखित अनियमितताएं पायी गईं–

- रियायत अनुबंध के खंड II के पैरा 18A में निहित प्रावधानानुसार फर्म के लेखों की लेखा परीक्षा हेतु एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक नियुक्त करने के लिये मुख्य नगर पालिका अधिकारी उत्तरदायी था।

अभिलेखों की समीक्षा में देखा गया कि स्वतंत्र लेखा परीक्षक नियुक्त नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षक के नियुक्त न किये जाने से परियोजना की वित्तीय निष्पादन की विश्वसनीयता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2012) कि निहित प्रावधानानुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षक की नियुक्ति निविदा आमंत्रित की गयी थी। परंतु कुछ विवाद के कारणों से लेखा परीक्षक द्वारा कार्य नही किया गया। इस शीर्ष में कोई भुगतान नही किया गया तथा निविदा निरस्त कर दी गई ।

- अनुबंध के खंड II के पैरा 18.1 के अनुसार परियोजना के पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र इंजीनियर नियुक्त किए जाने की आवश्यकता थी।

अभिलेखों की समीक्षा में देखा गया कि नगर पालिका में इंजीनियर के पर्यवेक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं पाया गया जो यह प्रमाणित करता है कि कोई इंजीनियर नियुक्त नहीं किया गया था।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने उत्तर दिया कि (अक्टूबर 2012) नगर पालिका के सहायक यंत्री को ही परियोजना इंजीनियर के रूप में कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया था। उत्तर के समर्थन मे पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

- वसूली किए जाने वाले राजस्व में नगर पालिका अंश के संबंध में कोई प्रावधान अनुबंध में नही किया गया जबकि परियोजना लागत का 90 प्रतिशत अंश शासन द्वारा वहन किया गया था।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2012) कि परियोजना के संचालन एवं संधारण पर व्यय फर्म द्वारा वसूली किए गए राजस्व में से किया जायेगा ।

संचालक एवं संधारण के लिए नगर पालिका निधि का उपयोग नही किया जायेगा अतः अनुबंध में नगरीय निकाय के अंश के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।

उत्तर संतोषजनक नही था, क्योंकि परियोजना लागत का 90 प्रतिशत अंश नगरीय निकाय की ओर से शासन द्वारा वहन किया गया परंतु राजस्व वसूली की राशि में से नगरीय निकाय के अंश का कोई प्रावधान अनुबंध में नहीं किया गया था।

- परियोजना की रियायत अवधि 25 वर्ष किस आधार पर निर्धारित की गई थी इसका अनुबंध में उल्लेख नही किया गया था।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2012) कि 25 वर्ष की रियायत अवधि का निर्धारण निविदा की पूर्व शर्तो के अनुसार किया गया था। यह पॉलिसी निर्णय परिषद का था।

उत्तर संतोष जनक नहीं था, क्योंकि 25 वर्षों की रियासत अवधि की न्यायसंगतता अभिलेखों मे नहीं थी।

- अनुबंध के प्रपत्र 22 में परियोजना की कुल लागत ₹ 80.71 करोड़ थी जिसमें ₹ 3.34 करोड़ अन्य व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाये गये थे। विस्तृत शीर्ष वार विवरण के अभाव में स्पष्ट नहीं था कि उक्त राशि का व्यय किन उद्देश्यों पर किया जायेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा उत्तर में बताया गया (अक्टूबर 2012) कि प्रपत्र 22 में अन्य शीर्षो का विवरण उपलब्ध नहीं था जो फर्म से प्राप्त किया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि अन्य व्यय शीर्ष के विवरण के अभाव में फर्म को अनुचित लाभ दिए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता ।

- अनुबंध के खंड II के पैरा 22.1 के प्रावधानानुसार फर्म द्वारा परियोजना को बीमित किया जाना था तथा बीमा की पॉलिसी नगर पालिका को उपलब्ध कराई जानी थी । लेखा परीक्षा को बीमा पॉलिसी से संबंधित कोई अभिलेख नगर पालिका शिवपुरी में उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि परियोजना बीमित थी या नहीं।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2012) कि बीमा पॉलिसी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है इसे फर्म से प्राप्त किया जायेगा।

बीमा पालिसी नगर पालिका शिवपुरी से मांगी गई (मई 2012) उत्तर प्रतीक्षित है ।

अनुमानित राजस्व से कम या अधिक प्राप्तियों की स्थिति में रियायत अवधि की पुर्नसमीक्षा के संबंध में अनुबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा उत्तर दिया गया कि राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति ने रियायत अवधि के बढाये या घटाये जाने के संबंध में निर्णय लिया है।

उत्तर सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी परियोजना के प्रावधानों के अनुसार नहीं था।

2.2.6.5 निविदा सुरक्षा की कम प्राप्ति राशि ₹ 1.24 करोड़

मध्य प्रदेश शासन के सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना के दिशा निर्देशों के पैरा 14 के अनुसार परियोजना के लिए प्रस्तुत निविदा के साथ निविदा सुरक्षा निधी निविदा अभिलेखों में दिये गये बैंक गारंटी के अनुसार होना चाहिये। निविदा सुरक्षा की राशि

₹ 50 करोड़ से अधिक की लागत की परियोजना, में एक प्रतिशत (न्यूनतम एक करोड़) होगी।

जल प्रदाय योजना खंडवा एवं शिवपुरी की निविदा सुरक्षा संबंधी अभिलेखों की समीक्षा में देखा गया कि फर्मो से राशि ₹1.24 करोड़ की कम निविदा सुरक्षा राशि प्राप्त की गई थी । विवरण निम्नानुसार है –

(₹ करोड़ में)

नगरीय निकाय का नाम	परियोजना का नाम	अनुमानित परियोजना लागत	दिशानिर्देशों के अनुसार जो निविदा सुरक्षा राशि जमा करना थी	नगरीय निकाय द्वारा वास्तविक रूप से प्राप्त राशि	निविदा सुरक्षा की कम प्राप्ति
नगर पालिक निगम खंडवा	जल प्रदाय परियोजना	106.72 (103.71+3.32 वर्कचार्ज)	1.04	0.50	0.54
नगर पालिका शिवपुरी	जल प्रदाय परियोजना	59.65 (57.91+1.74 वर्कचार्ज)	1.00	0.30	0.70
योग		**166.37**	**2.04**	**0.80**	**1.24**

नगर पालिक निगम खंडवा तथा नगर पालिका शिवपुरी द्वारा क्रमशः ₹ 54.00 लाख तथा ₹ 70.00 लाख निविदा सुरक्षा की कम राशि प्राप्त की गई । इस प्रकार फर्म को अनुचित लाभ दिया गया ।

इंगित किये जाने पर आयुक्त नगर पालिक निगम खंडवा ने उत्तर में बताया कि निविदा सुरक्षा राशि निविदा अभिलेख के पैरा 15 के अनुरूप प्राप्त की गई। मुख्य नगर पालिका अधिकारी शिवपुरी ने उत्तर में बताया कि लोक निर्माण विभाग की नियमावली के अनुसार फर्म से परियोजना लागत की पांच प्रतिशत निविदा सुरक्षा राशि प्राप्त की गई थी।

उत्तर मध्य प्रदेश सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना के दिशा निर्देशों के पैरा 14 के अनुसार नहीं था।

2.2.6.6 फर्म को राशि ₹ 18 लाख का अनुचित वित्तीय लाभ

मध्य प्रदेश सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना के दिशा निर्देशों के पैरा 15 के अनुसार फर्म द्वारा अनुमानित परियोजना लागत के पांच प्रतिशत के बराबर बैंक गारंटी के रूप में एक निष्पादन सुरक्षा प्रस्तुत करना थी। अनुबंध के पैरा 4.1 में निहित प्रावधानों के अनुसार भी मै0 विश्वा इन्फ्रास्ट्रकचर प्रा0 लिमिटेड द्वारा नगर पालिक निगम खंडवा को ₹ पॉच करोड़ के बराबर निष्पादन सुरक्षा प्रदान करनी थी ।

अनुबंध के अनुसार मै0 विश्वा इन्फ्रास्ट्रकचर प्रा0 लिमिटेड ने खंडवा जल प्रदाय परियोजना के लिए राशि ₹ पांच करोड़ की निष्पादन सुरक्षा जमा कराई थी। दिशा निर्देशों के पैरा 15 के अनुसार मै0 विश्वा इन्फ्रास्ट्रकचर प्रा0 लिमिटेड से ₹ 5.18 करोड (कुल परियोजना लागत ₹ 103.61 करोड़ का पांच प्रतिशत) प्राप्त होने थे ।

इस प्रकार त्रुटिपूर्ण अनुबंध के कारण फर्म से ₹ 18 लाख कम प्राप्त किए गये तथा फर्म को अनुचित वित्तीय लाभ दिया गया ।

इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2012), आयुक्त नगर पालिक निगम खंडवा ने (सितम्बर 2012) उत्तर दिया कि जमा करायी गयी राशि नियमानुसार है तथा फर्म को किसी प्रकार का वित्तीय लाभ नहीं दिया गया।

उत्तर सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था।

2.2.7 भोपाल में बस स्टॉप एवं आधुनिक शौचालयों का निर्माण

2.2.7.1 कियोस्क सिस्टम रहित 50 बसस्टॉप का निर्माण कराये जाने से राजस्व की हानि राशि ₹ 15 लाख

नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर विज्ञापन अधिकार के अंतर्गत 100 नगरीय बस स्टॉप का निर्माण कराने हेतु 23 सितंबर 2006 में खुली निविदा आमंत्रित की गयी। मेयर–इन–कॉउंसिल ने यह निर्णय लिया कि 50 बसस्टॉप कियोस्क सिस्टम सहित होंगे एवं 50 कियोस्क सिस्टम रहित होंगे। चार विज्ञापन फर्मो द्वारा निविदाऐं प्रस्तुत की गई। निविदा समिति द्वारा राष्ट्रीय एडवरटाइजिंग एजेन्सी नई दिल्ली की दरें अनुमोदित की गई । एजेन्सी की दरें निम्नानुसार थी –

50 बस स्टॉप कियोस्क सिस्टम रहित		₹ 45 लाख, 5 वर्षो में (₹11.25 लाख) चार बराबर किश्तों में
50 बस स्टॉप कियोस्क सिस्टम सहित		₹ 60 लाख, 5 वर्षो में (₹15 लाख) चार बराबर किश्तों में ।
कुल प्राप्तियों योग्य राजस्व	=	₹ 105 लाख

उपरोक्त दरें एमआईसी संकल्प क्रमांक 19 दिनांक 18.12.2006 द्वारा अनुमोदित की गई थी।

अभिलेखों की समीक्षा मे पाया गया कि संभागीय परिवहन समिति की बैठक (अप्रैल 2006) आयोजित की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि 100 बस स्टॉप कियोस्क सिस्टम रहित बनाये जायें, बैठक के मिनिट्स लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये। आगे 50 बस स्टॉप कियोस्क सिस्टम रहित तथा 50 बस स्टॉप कियोस्क सिस्टम सहित बनाये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई तथा एम आई सी द्वारा भी (अप्रैल 2007) संभागीय परिवहन समिति के निर्णय का अनुमोदन किया, जो उनके पूर्व में लिए निर्णय का विरोधाभासी था। इस प्रकार संभागीय परिवहन समिति की अनुशंसा पर 100 बस स्टॉप कियोस्क सिस्टम रहित बनाये जाने से ₹ 15 लाख की राजस्व हानि हुई।

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर (अगस्त 2012) आयुक्त नगर पालिक निगम भोपाल ने उत्तर में (अगस्त 2012) बताया कि कियोस्क सिस्टम रहित बसस्टॉपों के निर्माण का निर्णय उसके अप्राधिकृत उपयोग को रोकने तथा सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था।

उत्तर प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि संभागीय परिवहन समिति ने कियोस्क सिस्टम सहित बस अड्डा बनाने के कारणों के संबंध में नहीं लिखा था।

2.2.7.2 आधुनिक शौचालयों के लिए एजेन्सी को भूमि का आबंटन न होने से नगर पालिक निगम भोपाल को ₹ 7.87 लाख राजस्व की हानि।

नगर पालिक निगम भोपाल के मेयर–इन–काउंसिल ने (दिसंबर 2007) यह निर्णय लिया कि भोपाल में विभिन्न स्थानों पर विज्ञापन पर आधारित सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधुनिक शौचालयों का निर्माण कराया जाये। 36 आधुनिक शौचालयों के निर्माण के लिए (फरवरी 2008) दो समूहों (प्रत्येक के लिये 18) में निविदाऐं आमंत्रित की गई थी।

समूह ए के लिए मै0 इमेज एडवरटाईजिंग, नई दिल्ली तथा समूह बी के लिए मै0 लक्ष्य आउटडोर नई दिल्ली की दरें राशि ₹ 3.36 करोड़ तथा ₹ 4.51 करोड़ के प्रीमियम[42] के साथ स्वीकार की गई। तदनुसार, 15 वर्षो की रियायती अवधि के लिए तथा प्रीमियम राशि 14 बराबर किश्तों में जमा कराने के साथ चार माह की कार्यपूर्णता अवधि के लिये अनुबंध किये गये।

अनुबंध के पैरा 7.8.7 में यह प्रावधान किया गया था कि प्रस्तावित परियोजना के लिए भूमि विभाग द्वारा अधिग्रहित की जायेगी तथा संबंधित फर्म को केवल निर्माण कार्य के लिए हस्तांतरित की जायेगी। उक्त भूमि विवादों से मुक्त होगी तथा सामने एवं बाजू से खुली होगी। ए एवं बी प्रत्येक समूह को 10 आधुनिक शौचालयों के निर्माण हेतु कार्यादेश (सितंबर 2008) जारी किया गया था।

अभिलेखों की समीक्षा में देखा गया कि नगरीय निकाय द्वारा एजेन्सी (समूह ए) को जुलाई 2012 तक केवल दो स्थल उपलब्ध कराये गये थे। तदनुसार एजेन्सी द्वारा केवल दो आधुनिक शौचालयों का निर्माण किया गया जिसे अभी तक उपयोग में नहीं लिया गया।

नगर पालिक निगम भोपाल संबंधित एजेन्सी को भूमि उपलब्ध कराने में असफल रही जिसके कारण से प्राप्ति योग्य प्रीमियम राशि ₹ 7.87 करोड़ की हानि हुई तथा स्वच्छता सेवायें भी बाधित हुई।

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर (अगस्त 2012) आयुक्त ने उत्तर (अगस्त 2012) में बताया कि जिला कलेक्टर को भूमि अधिग्रहण हेतु पत्र लिखा गया है। भूमि आवंटन के उपरांत कार्यवाही की जायेगी।

अद्यतन जानकारी मांगी गई (मई 2013) उत्तर प्रतीक्षित है।

2.2.8 निष्कर्ष

- परियोजना लागत के मात्र 10 प्रतिशत अंशदान पर फर्म को 25 वर्षो का मालिकाना हक प्रदान करना तथा अनुबंध में नगरीय निकाय के लिए परियोजना के संचालन एवं संधारण के दौरान राजस्व प्राप्ति का कोई प्रावधान न होना नगरीय निकाय के हित में नहीं था ।

  (पैरा 2.2.6.4)

- 25 वर्षो के लिए परियोजना के संचालन एवं संधारण के निर्णय लिए जाने का कोई स्पष्ट आधार नही था ।

  (पैरा 2.2.6.4)

[42] प्रीमियम से आशय उद्यमी द्वारा दिये गये प्रस्ताव के अनुसार नगरीय स्थानीय निकाय को भुगतान की जाने वाली कुल राशि से है।

- आधुनिक शौचालयों के निर्माण में आयोजना का अभाव था क्योंकि बिना भूमि की उपलब्धता के निविदा आमंत्रित एवं अनुमोदित की गई थी।

(पैरा 2.2.7.2)

2.2.9 अनुशंसाऐं

- प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि निविदा सुरक्षा एवं निष्पादन सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुरूप हो।

(पैरा 2.2.6.5 तथा 2.2.6.6)

- प्राधिकारी को अनुबंध की शर्त के अनुसार परियोजना का बीमा सुनिश्चित करना चाहिये तथा एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिये।

(पैरा 2.2.6.4)

- प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि परियोजना के संचालन एवं संधारण की अवधि में वसूल किये गये राजस्व में नगरीय निकाय की हिस्सेदारी होनी चाहिये।

(पैरा 2.2.6.4)